

## Report of SoPR

### DPC in Bihar

**PRIA**

42, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi – 110062

Tel. : +91-11-29960931/32/33 Fax : +91-11-2996 55183

Website : [www.pria.org](http://www.pria.org) e-mail : [info@pria.org](mailto:info@pria.org)

---

**PRIA** is an International Centre for Learning and Promotion of Participation and Democratic Governance

## **What is Where**


<b>1. Abbreviations</b>	<b>: 02</b>
<b>2. Prologue</b>	<b>: 03</b>
Preamble	: 05
<b>3. What is 243ZD</b>	<b>: 06</b>
<b>4. The structure and process for decentralised planning in Bihar</b>	<b>: 07</b>
Bihar Panchayat Raj Act 2006	: 07
<b>5. In 2007 an Amended was done in “The Bihar Panchayat Raj</b>	
<b>(Amendment) Act, 2006 AN ACT</b>	<b>: 08</b>
<b>6. The effectuation of DPC Provisions</b>	<b>: 10</b>
<b>7. The functioning of DPCs and Planning process in Madhubani, Bihar</b>	<b>: 12</b>
<b>8. Planning process at Gram/ Taluk/ Zilla</b>	
<b>Panchayat level in Madhubani, Bihar</b>	<b>: 13</b>
<b>9. Some Suggestive Measures</b>	<b>: 19</b>
<b>10. Bibliography</b>	<b>: 20</b>
<b>11. List of Members of DPC Madhubani</b>	<b>: 21</b>
<b>12. Annexure – I Bihar Panchayat Raj Amendment Act 2006</b>	<b>: 22</b>
<b>13. Annexure – II Notification for constituting DPC</b>	<b>: 23</b>
<b>14. Annexure – III Letter from Panchayat Dept to BSEC</b>	<b>: 31</b>
<b>15. Annexure – IV Letter from BSEC to all DMs about Election Programme</b>	<b>: 38</b>
<b>16. Annexure – V Letter from BSEC to all DMs about Election &amp; counting Procedure</b>	<b>: 45</b>
<b>17. Annexure – VI Proceeding of some of the DPC meetings</b>	<b>: 47</b>
<b>18. Annexure – VII Letter from Panchayati Raj Dept.</b>	<b>: 52</b>

## **Abbreviations :**


AA	: Amendment Act
BRGF	: Backward Region Grant Fund
BSEC	: Bihar State Election Commission
CAA	: Constitutional Amendment Act
CEO	: Chief Executive Officer
DM	: District Magistrate
DPC	: District Planning Committee
DDC	: Deputy Development Commissioner
ER	: Elected Representatives
GP	: Gram Panchayat
NGO	: Non Governmental Organization
PS	: Panchayat Samiti
PRIA	: Society For Participatory Research In Asia
PRI	: Panchayat Raj Institution
SC	: Scheduled Caste
V& M Committee	: Vigilance and Monitoring Committee
ZP	: Zila Parishad

## Prologue:

To achieve desired targets of economic growth and balanced regional development the efforts for decentralized planning commenced with the first Five Year Plan. The plan recognized the need to break up planning exercise into National, State, District and Local Government level. But it fails to spell out the process for the same. In the second Five Year Plan, two new elements, namely, establishment of District Development Council and drawing up of village plans were introduced. But again the attempt goes futile due to lack of proper enabling framework. On the recommendations of Balwant Rai Mehta Committee in 1957, village, block and district level Panchayat Institutions were established in many states. But, they are not assigned with any meaningful role or resources. Administrative Reforms



Top Down Planning



Bottom Up Planning



Commission (1967) highlighted in its Report that district planning needed to be focused in those areas where local variations in the pattern and process of development were likely to yield quick results in terms of growth. In 1969, Planning Commission communicated guidelines to the states for formulating district plans detailing the concept and methodology of drawing up such plans. It gave some fruitful results but limited to few states. A Central Scheme was also operational from Fourth to Ninth Five Year Plan to assist states for strengthening their planning. This scheme was extended to district level in 1982-83. A Working Group headed by Prof. M. L. Dantwala (1978) identified remoteness of planning agencies at district level from actual scene of action as the cause for mismatch of financial allocations with location specific needs. The Group recommended Block as the appropriate sub-state-planning unit. Planning Commission also issued guidelines on formulation of Block level plans in tune to these recommendations. The Ashok Mehta Committee (1978) in its report

recommended that Panchayats ought to be strengthened for undertaking local planning.

The Hanumantha Rao Committee (1984) brought out the fact that planning from below was undermined by different streams of funding the district plan. The Group recommends decentralization of function, powers and finances, setting up of district planning bodies and district planning cells. The G. V. K. Rao Committee (1985) reviewed the administrative arrangements for rural development and recommended district Panchayat to manage all development programmes. The Sarkaria Commission also highlighted the need for people's participation in the planning and administrative machinery at local level. During Sixth and Seventh Plan role of Panchayats in rural development was also enlarged.

In 1992-93, the 73 and 74 Amendments gave Constitutional status to local self-governments and provided a new and universalized platform for decentralized planning. In recent initiatives taken by Ministry of Panchayati Raj regarding decentralized planning it is recommended that under Article 243ZD of the Constitution District Planning Committee (DPC) shall be constituted at the district level in every state to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district. The object of district planning is to arrive at an integrated, participatory coordinated idea of development of a local area. The comprehensive district plan will integrate multiple programmes that are in operation in the district concerned and therefore address backwardness through a combination of resources that flow to the district.

The Backward Regions Grants Fund is designed to redress regional imbalances in development. The fund will provide financial resources for supplementing and converging existing developmental inflows into identified districts to:

- Bridge critical gaps in local infrastructure and other development requirements that are not being adequately met through existing inflows.

- Strengthen, to this end Panchayats and Municipality level governance with more appropriate capacity building, to facilitate participatory planning, decision-making, implementation and monitoring, to reflect local level needs.
- Provide financial support to local bodies for planning, implementation and monitoring their plans.
- Improve the performance and delivery of critical functions assigned to Panchayats, and counter possible efficiency and equity losses on account of inadequate local capacity.

### **Preamble**

Preparation of District Plan has always been an arduous task for the district administration. In the post 73rd CAA period efforts have been going on to overhaul the planning process i.e top-down to bottom-up. However, the administration is still grappling with the concept of participatory planning.

As a step towards the strengthening of Panchayats an exercise of Comprehensive District Planning has been undertaken to fulfil the basic ethos of 73rd CAA and enable the participation of people in the planning exercise. Efforts have been put to make the planning exercise participatory by incorporating the views of people about their panchayat/block/zila. In addition efforts have been put to meet or consult as many stakeholders (i.e. CSOs, line department officials, active groups (youth, women etc), elected representatives).as possible during the exercise.

As the exercise is new for people efforts have been put to make them understand the concept of participatory planning and enable them to prepare vision for their panchayat/block/zilla.

## **What is 243ZD**

243ZD of 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment Act Says, Committee for district planning.-

- (1) There shall be constituted in every State at the district level a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.
- (2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to-
  - (a) the composition of the District Planning Committees;
  - (b) the manner in which the seats in such Committees shall be filled:

Provided that not less than four-fifths of the total number of members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Panchayat at the district level and of the Municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district;
  - (c) the functions relating to district planning which may be assigned to such Committees;
  - (d) the manner in which the Chairpersons of such Committees shall be chosen.
- (3) Every District Planning Committee shall, in preparing the draft development plan,-
  - (a) have regard to-
    - (i) matters of common interest between the Panchayats and the Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;
    - (ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise;
  - (b) Consult such institutions and organisations as the Governor may, by order, specify.
- (4) The Chairperson of every District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of the State.

## **The structure and process for decentralised planning in Bihar**

### **Bihar Panchayat Raj Act 2006**

*Section 167 of the act deals with District Planning Committee –*

(1) The Government shall constitute in every district a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

(2) The District Planning Committee shall consist of:

(a) Adhyaksha of the Zila Parishad;

(b) Mayor or President of the Municipality having jurisdiction over the headquarters of the District;

(c) Such number of persons not less than four-fifth of the total number of members of the Committee as may be specified by the Government, elected in the prescribed manner from amongst the members of the Panchayats and Municipalities in the district, in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district under the direction, control and supervision of the State Election Commission : Provided that as nearly as practicable, fifty percent of such elected members shall be women; Provided further that if there is no elected member from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Classes categories, the Government may nominate such number of members from Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Classes categories as it deems fit from amongst the members of the Panchayats and Municipalities in the district.

(3) Members of the Lok Sabha who represent the whole or part of the district, the members of the Rajya Sabha who are registered as electors in the district, all the members of the State Legislative Assembly whose constituencies lie within the district, the members of the State Legislative Council who are registered as electors in the district and the District Magistrate and the Chairman of the District Co-operative Bank/Land Development Bank shall be permanent invitees of the Committee.

(4) The Chief Executive Officer shall be the Secretary of the Committee.

(5) The Adhyaksha of the Zila Parishad shall be the Chairman of the District Planning Committee.

(6) The District Planning Committee shall consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and prepare a draft development plan for the district as a whole.

(7) Every District Planning Committee shall in preparing the draft development plan.

(a) have regard to,

(i) the matters of common interest between the Zila Parishad, Panchayat Samitis, Gram Panchayats, Nagar Panchayats, Municipal Councils and the Municipal Corporations in the district including local planning, sharing of water and other physical and natural resource, the integrated development of infrastructure and environmental conservation.

(ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise.

(b) consult such institutions and organizations as the Government may by order specify.

(8) The Chairman of every District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee to the Government.

**In 2007 an Amended was done in "The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2006 AN ACT" ((See Annexure – I)**

To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty seventh year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement |-

(1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.


(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 2 of the Bihar Act 6, 2006 :- Section 2 (a n) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 shall be substituted by the following:- "(an) "Zila Parishad" means Panchayat at the District Level constituted under this Act."

3. Amendment of Section 167 of the Bihar Act 6, 2006 :-

Sub-section (2)(c) of Section 167 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 shall be substituted by the following :-

"(c) Such number of persons, not less than four-fifth of the total number of members of Committee as may be specified by the Government, elected in the prescribed manner from amongst the members of the Zila Parishad, Nagar Panchayat and Councillors of the Municipal Corporation and the Municipal Councils in the district, in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district under the direction, supervision and control of the State Election Commission.



## **The effectuation of DPC Provisions**

Under the Notification no. 116 dated 10.1.07 (See annexure-II) Bihar Zila Yojna Samiti ka Gathan evam Karya Sanchalan Niyamawali, 2006 was notified. Some of the salient features of this guidelines was :

Chairperson : ZP Chairperson will be Chairperson of DPC.

Members :

- as per sec 167 of BPR 2006 ZP chairperson, Mayor or Chairperson
- of the ULB in the District HO.
- 4/5 members proportionate to the Rural Urban Population
- The remaining members of the committee -

Specially invited permanent members-

(a) Such members of the Lok Sabha, Rajya, State legislative Assembly and Council whose constituencies fully or partially fall in that district;

(b) Member of the Rajya Sabha, registered as voter in the district.

(c) Chairperson or District Cooperative Bank / District Land Development Bank

- Permanently invited temporary members the committee can't nominate representatives to participate in the meetings of DPC.
- If someone loses their membership in the Urban and Rural Local Bodies due to any reason will not remain member any more.
- The experts related belonging to the work - area as special invited members; provided that such invited members may give suggestions only in their field of expertise and they shall not have the right to vote on any issue.

In the light of the provisions made in Bihar Panchayat Raj Act, a letter no. 210/f06-38/2006/ xzk0 i0 117 dated: 10 Jan 2007, (Annexure - III) was issued by Directorate of Panchayati Raj, (now separate Department) Govt. of Bihar, to Secretary, State Election Commission to conduct elections for the constitution of District Planning Committees. It was also mentioned in the letter that *due to delay in the formation of DPC fund from GOI under BRGF has yet not been released*. A notification no. 116 Rule and Guidelines for the formation and Functioning of DPC was also attached (Annexure - II).

Following the above letter, a letter no. 210fu 30 - 252/2006 – C – 20 dated 15<sup>th</sup> Jan 2007 (Annexure–IV) a letter was issued by to all the District Magistrates with a reference of guidelines for the formation and functioning of DPC, 2006 (Bihar Zila Yojna Samiti ka Gathan evam Karya Sanchalan Niyamawali, 2006).


It was followed by another letter i0u0 30-252/2006-C-81 dated: 29 Jan 2007, (Annexure–V) from State Election Commission related to electoral process.

On the basis of above mentioned letters, notifications and office orders the Election for DPC's were held and it was formally constituted in July, 2007.

## The functioning of DPCs and Planning process in Madhubani, Bihar

### DPC in Madhubani

Rural Population	:	34,50,736	97 %
Urban Population	:	01,24,545	03 %



Expected number of DPC members based on Population	:	40
ZP Chairperson and Head of the ULB of District HQ	:	02
Total number of members	:	42
Share of members of DPC 4/5	:	34
PRI's	:	32
ULB's	:	01

This was constituted in Feb. 07 and the first meeting was held on 22.2.09. After that 2 or three meetings per annum is organized. Mostly these meeting are called for BRGF schemes.

Meetings are called by the CEO of DPC. The venue of the meeting had never changed. It is organized in the ZP Premise. After analysing some proceeding of the meetings held on

## Planning process at Gram/ Taluk/ Zilla Panchayat level in Madhubani, Bihar

### Environment Building

- ✦ The process of Comprehensive district planning was initiated in 250 district in the country.
- ✦ Out of 38 districts of Bihar 37 was selected for the process.
- ✦ In the first year i.e. 2006 – 07 there was no involvement of any external agency for the preparation of Comprehensive district Plan.
- ✦ Based on the experience it was decided to hire the services of external agencies for technical support.
- ✦ Along with many international and national agencies like PRIA, CARE, NIRD, NABARD etc. were identified as TSI for the state. Madhubani district was given to PRIA , Bihar.

### The Starter:

- ✦ Letter from Mr. T Raghunanadan Joint Secretary , MoPR, dt : 1.11.2007, initiated the process.

### Unfolding the Process:

- ✦ A two Day (26-27 Dec, 07) workshop was designed to ensure the involvement of different stakeholders:

Particulars	Participants	Methodology
State Level Workshop	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DPC Chairperson and CEO</li> <li>➤ Some selected Pramukh and Mukhiya</li> <li>➤ Officials of Dept of Panchayati Raj, GOB</li> <li>➤ Officials of other concerned dept's like Planning, UDD, C &amp; G</li> <li>➤ TSI empanaled by central GOI. for Bihar</li> <li>➤ NIC was also invited to make a demonstration of plan plus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Power Point Presentation by Secretary Panchayati Raj on Provisions and different steps of CDP.</li> <li>➤ Presentation and live demo of Plan Plus by NIC</li> <li>➤ Presentation of formats and work plan by NIRD.</li> <li>➤ Presentation by all the TSI.</li> <li>➤ Each presentation was followed by an open session to ensure participation. Suggestions and comments were considered and incorporated.</li> </ul>

- ✚ It was first time in history of Bihar, the involvement of varied sections of stakeholders of BRGF was ensured under one roof.

- ✚ Sessions were planned to provide enough space to all the stakeholders to share their views and arrangements were also made to demystify the confusion regarding BRGF



- ✚ Each session was followed by open discussion.

- ✚ Sensitive issues like distribution of BRGF funds in the ratio of 92 : 6 : 2 % led to some hot exchanges among three tiers of PRI, but facilitation by PRIA concluded with a more clear vision and conducive environment.



- ✚ The purpose behind the whole process to prepare a team of well aware, educated and empowered stakeholders at district level to the process forwarded on spin off basis.

### **Key Principle Generated :**

- ✚ The bottom up planning process was developed .
- ✚ This started a churning process on decentralized planning process, roles and responsibilities of DPC were established.
- ✚ Convergence of ULB in the district level planning was not only understood but realised.

### **Lessons Learnt:**

- ✚ The need for common understanding amongst the TSI having different background was very much realised.
- ✚ Clarity on roles and responsibilities especially of TSI should be well defined to avoid any chance of confusion.
- ✚ A well designed training programme for all the staffs to be involved before entering in the process.

- Well defined pre implementation strategy with adequate time line should be prepared.

### How the three tier were involved

The design of district and block level workshop was designed by PRIA. The involvement of all the stakeholders were fixed in the workshop planned for district and block level.

SI No	Particulars	Participants	Methodology
1	District Level workshop	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DPC Chairperson, Zilla Parishad Members</li> <li>➤ All Block Pramukh Line Department Heads</li> <li>➤ Dist. Planning Officer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ An overview CDP by DDC.</li> <li>➤ Power Point Presentation by PRIA on Provisions and different steps of CDP.</li> <li>➤ Presentation by NIC Madhubani and Chapra.</li> <li>➤ Presentation of formats and work plan by PRIA.</li> <li>➤ Each presentation was followed by an open session. Suggestions and comments were considered and incorporated.</li> <li>➤ Mock of exercise of wish list generation was also tried to give an impression about selection of schemes and information about concerned departments.</li> <li>➤ Visioning exercise in large group. Based on the history and secondary data source of HDI indicators. Issues like <ul style="list-style-type: none"> <li>• mango orchard in Bhagalpur,</li> <li>• Rural Market Hub in Lakhisarai,</li> <li>• Makhana cultivation, Madhubani painting, sikki, Mauni in Mdhubani and</li> <li>• problem of flood, water logging and possibility of sweet water prone culture was discussed during the exercise. These things reflected in the vision document too.</li> </ul> </li> </ul> <p>(A Dist. Level workshop was planned for members of ULB's separately)</p>
3	Block workshop	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Block Pramukh,</li> <li>➤ All Mukiyas &amp;</li> <li>➤ Selected Ward members,</li> <li>➤ BDO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ An overview CDP by BDO</li> <li>➤ Presentation by PRIA on Provisions and different steps of CDP by using Flex chart and graphics.</li> <li>➤ Presentation of formats and work plan by PRIA.</li> <li>➤ Each presentation was followed by an open session. Suggestions and comments were considered and incorporated.</li> <li>➤ Mock of exercise of wish list generation was also tried in smaller group, to give an impression about selection of schemes and information about concerned departments.</li> </ul>

### **Envisioning Process:**

- **District Level Workshop:** Preliminary Envisioning was carried mostly based on secondary data sources.
- **Block Level Workshop:** During block level training workshops Panchayat wise focused group discussions were organized for visioning. In this exercise participants were asked to make ward wise wish list of their respective Panchayat. Stakeholder identification is important in order to include demands of large section of community.
- **Gram Panchayat Level :** Visioning exercise at GP during MLP.
- **One – on – One / Group Meetings :** With PRI representatives, Line department officials , Fisherman Groups , Madhubani Painters , Progressive farmers and community leaders .
- Review & analysis of secondary data that was available in the district.
- Sector-wise analysis of secondary data
- SWOT analysis of the district

### **Visioning Process facilitation:**

- PRIA Representatives
- DDC/DPO at district and block level
- Mukhia ,Panchayat samiti members ,some influential persons,NGO representatives and some social workers

### **Issues related to Visioning:**

- At times PRI members did not want to sit in same group & when asked to join the group they replied that they would give their plan in final plan of Gram Sabha.
- Most of the female participants & some male participants were not participating in the processes because they are illiterate cannot write & therefore hesitating to sit in their Panchayats group.
- Some female PRI representative were also sitting aside as their husbands were taking part in FGD's on their behalf & also sometimes none of their representative taking part, they were not interested to sit in group of male members. Their husband's prepared the wish list.
- PRI members especially ward members & Panchayat Samiti members were complained that Mukhiya does not want to involve them in processes and not used to consider their plans.

### **Constraints Overcome:**

- PRI representatives were asked individually to join the group, as their voice is also very important for development of Panchayat.
- Panchayat Sevaks were asked to writing down the wish list .
- They were also asked that this exercise is for testing up to what extent they were able to understand BRGF which is very important as in 2007-2008 most of the plans send by Gram Sabha were not considered & few selected plans were came to implement at Panchayat level.
- PRI representatives were asked that including their needs in wish list Gram Sabha is very important because these activities were going to be considered for five years future of their Panchayat.

### **Difficulties**

- Low literacy rate among the women keep them in isolation come up with their individual opinions. Therefore with in short duration it was not possible to enable their effective participation
- Lack of interest among PRI representatives regarding five year planning as they are in office for next 3 yrs.
- Most of Gram Panchayat members being daily wage laborers therefore in these conditions it is very difficult to make them think about visualizing five-year perspective development leaving their work.
- Panchayats cover a big area (3-7 village) and participation of community from villages other than where Planning meeting is conducted is very poor.
- Lack of secondary data was a restricting factor in stimulating discussions.
- In panchayats where Mukhiya are dominating and community views could not be expressed freely.
- The PRI representatives/ community leaders were more interested to know about BRGF provisions and types of schemes, which could be undertaken under BRGF.
- Lack of interest among PRI representatives, as they were not getting any immediate monetary benefit from the process.
- It was observed that the community has almost lost faith in the system and they have accepted the existing situation as the grant of the fate and it would be difficult to organize them for a long period.

- Another observation was that the society has become eccentric and thinks only for their personal benefits and not for whole panchayat or even village as one unit.
- PRI members have to face unruly situations during Gram sabaha as every body starts demanding something from him individually and often they are blamed to be doing partiality.
- Sense of collectiveness and ownership is totally lacking. This seems to be the principal cause of the non-development of the panchayat.

#### **Stakeholder's involvement:**

- PRI representatives:
- Women
- Children:
- Youths
- SHG Members:
- Community:
- Asha Worker:
- Citizen leaders :
- Participation of Communities

#### **Consolidation of Plan :**

- Step I : Wish list was compiled in the Gram Sabha and was sent to Panchayat Samiti after passing a resolution in the meeting of Gram Panchayat.
- Step II : A plan of Panchahayat Samiti was prepared in all the Blocks and it was added in the consolidated plans of the Gram Panchayats of that particular PS and sent to ZP.
- Step III : Before sending it to DPC this was shared with different departments to check whether they have planned budget for that particular programme.
- Step IV : Left out programmes were supposed to be sent to DPC for technical and financial approval under BRGF.

But unfortunately neither the department took plans from the consolidated list nor could the resource envelope be prepared. So lastly in place of CDP it becomes BRGF plan.

#### **Impact of CDP exercise**

- **Govt. Official Level:** Bottom up planning process has been accepted by the Govt. officials as an impact of CDP process. They have started feeling the relevance of DPC in preparation developmental plan.
- **ER's Level:** Though PRI's are in place in the state true essence of decentralized planning is still a distant reality. It was for the first time that the planning process involved a large number of representatives including Gram Panchayat members who are ignored by Mukhiyas and do not have any say in the developmental plan of the panchayat. At some places it was well taken but in most of the cases the mukihiyas found the process uncomfortable. The process has been helpful in building the capacities of the ER's. Asset creation at village /panchayat level , which has been the

prime focus of the PRI's i.e Buildings, roads, bridges etc and in practice, which was reduced to some extent due to CDP exercise.

- **Community Level:**

The participation was encouraging at the community level, which can be reflected from the attendance at the Gram Sabha meetings where wish lists were identified. But still apprehensions are prevailing at the community level that whether their wish list and priorities would be given a similar importance in final plan as big wish list have been prepared at panchayat level.

In short, the district planning started with a visioning process and end up in an integrated plan for the district. Preparation of a district vision was the first significant event in district planning. On the basis of district vision document, a plan was prepared at the Gram Sabha level. The Gram Panchayat may finalise its plan based on prioritise exerging from the Gram Sabha and earmarking suggestions for the PS. Projects and activities which can be implemented at the Gram Panchayat level was included as "Gram Panchayat Plan". Those projects and activities which should have been ideally implemented only in more than one Gram Panchayat, would have been forwarded to the PS but unfortunetly this demarkation converted in the state of confusion and mebers of Panchayat Samiti also started taking up programme serving single Panchayat. Somehow it was sorted out.

Based on these suggestions received from Gram Panchayats and its own priorities the Panchayat Samiti finalised its plan. Projects and activities, which can be implemented at the PS level was included as "Panchayat Samiti Plan". Those projects and activities which need to be implemented in more than one PS was forwarded to the District Panchayat for consideration and inclusion into the "District Panchayat Plan".

Based on the Gram Panchayat Plans, the PS Plans and District Panchayat Plans and the plans from Urban Local Bodies, the District Planning Committee finalised the District Plan for the district and will form part of the State plan.

### **Some suggestive Measures :**

- Although a core committee was formed with members from all the line department at district and block level, but somehow it was not functioning the way it should have. Such committees need to be formed at State Level, then to District and Block level. Sharing of annual budget for the district programme wise should be made mandatory for all the departments.
- Different departments should be instructed to take up programmes only from the perspective plan / self of project prepared by the DPC.
- Constitution of Sub- Committees -

(i) Keeping the functions of the District Planning Committee in view, the following Sub- Committees consisting of members from amongst the members of the District Planning Committee shall be constituted in the prescribed manner :

- (a) Rural development programme Sub- Committee;
- (b) Agricultural Development Programme Sub- Committee;
- (c) Urban Development Sub-Committee;
- (d) Irrigation Development Programme Sub-Committee;
- (e) Scheduled Castes, Scheduled tribes, other backward classes and weaker section development and women and child development programme persuasion Sub-Committee;
- (f) Employment generation and availability Sub-Committee;
- (g) Public Health and family welfare Sub-Committee;
- (h) Education Sub-Committee;
- (i) Water supply Sub-Committee;
- (j) Road and Transport, development Sub-Committee;
- (k) Sub Committee for determining use of land situated in investment area;
- (l) Sub-Committee for persuasion of the development work of the M.Ps. and Legislators Area Development Schemes;

(ii) The District Planning Committee may nominate a member in the Sub-Committee an expert of the particular field;

(iii) Every Sub-Committee may give suggestions only to the District Planning Committee on the subjects concerned;

### **Bibliography :**

1. 73<sup>rd</sup> & 74<sup>th</sup> Constitutional amendment act.
2. Draft guidelines for the preparation of district plan, Govt of Bihar, Panchayati Raj Department, Govt. Bihar
3. Manual for integrated district planning, New Delhi, Planning Commission, 2008 PP 51 - 132
4. Guidelines for district plan in the eleventh five-Year plan
5. [http://en.wikipedia.org/wiki/District\\_Planning\\_Committees\\_in\\_India](http://en.wikipedia.org/wiki/District_Planning_Committees_in_India)
6. [www.localgovernmentindia.org](http://www.localgovernmentindia.org)
7. [www.indiacode.nic.in](http://www.indiacode.nic.in)
8. Bihar Panchayat Raj Act 2006

## List of Members District Planning Committee as on 25<sup>th</sup> Aug, 2009

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Ms. Anuja Jha  | Municipal council |
| 2. Ms. Munni Khatun   | Zila Parishad     |
| 3. Ms. Rehana Khatun  | Zila Parishad     |
| 4. Ms. Kumari Mamta Devi  | Zila Parishad     |
| 5. Ms. Godavari Devi  | Zila Parishad     |
| 6. Ms. Manorma Devi   | Zila Parishad     |
| 7. Ms. Lalitha Kumari   | Zila Parishad     |
| 8. Ms. Chandan Kumari   | Zila Parishad     |
| 9. Ms. Geeta Devi   | Zila Parishad     |
| 10. Ms. Sangeeta Thakur   | Zila Parishad     |
| 11. Ms. Bandana Devi  | Zila Parishad     |
| 12. Ms. Bharti Mehta  | Zila Parishad     |
| 13. Ms. Beena Devi  | Zila Parishad     |
| 14. Ms. Vikram sheela Deci  | Zila Parishad     |
| 15. Ms. Babeeta Rai   | Zila Parishad     |
| 16. Ms. Beena Devi  | Zila Parishad     |
| 17. Ms. Krishna Devi  | Zila Parishad     |
| 18. Mr. Prem Kumar Mandal   | Zila Parishad     |
| 19. Mr. Anil Jha  | Zila Parishad     |
| 20. Mr. Ashok Kumar Singh   | Zila Parishad     |
| 21. Mr. Niraj Kumar Jha   | Zila Parishad     |
| 22. Md. Zakir Hussain   | Zila Parishad     |
| 23. Md. Akhtar Hussain  | Zila Parishad     |
| 24. Md. Kamrul Hodda  | Zila Parishad     |
| 25. Mr. Birendra Bhandari   | Zila Parishad     |
| 26. Mr. Rohit Narayan Yadav   | Zila Parishad     |
| 27. Mr. Prabhat Ranjan Kumar Singh                                    | Zila Parishad     |
| 28. Mr. Sanjay Kumar Paswan   | Zila Parishad     |
| 29. Mr. Bharat Bhushan  | Zila Parishad     |
| 30. Mr. Chanadvir Kamat   | Zila Parishad     |
| 31. Mr. Dinesh prasad Yadav   | Zila Parishad     |
| 32. Mr. Sanjay Kumar  | Zila Parishad     |
| 33. Mr. Sunil Kumar Prasad  | Zila Parishad     |
| 34. Mr. Baidh Nath Paswan   | Zila Parishad     |
| <b>35. Ms. Anaro Devi Pressident DPC</b>                              |                   |
| 36. All lok sabha members   |                   |
| 37. All Rajyasabha members  |                   |
| 38. All legislative Assembly members                                  |                   |
| 39. All legislative council members                                   |                   |
| 40. President Rahika Central Cooprative Bank Madhubani cum member DPC |                   |
| 41. District Magistrate cum member DPC                                |                   |

## **The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2006 AN ACT**

To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty seventh year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement |-

(1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 2 of the Bihar Act 6, 2006 :-

Section 2 (a n) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 shall be substituted by the following:-

"(a n) "Zila Parishad" means Panchayat at the District Level constituted under this Act."

3. Amendment of Section 167 of the Bihar Act 6, 2006 :-

Sub-section (2)(c) of Section 167 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 shall be substituted by the following :-

"(c) Such number of persons, not less than four-fifth of the total number of members of Committee as may be specified by the Government, elected in the prescribed manner from amongst the members of the Zila Parishad, Nagar Panchayat and Councillors of the Municipal Corporation and the Municipal Councils in the district, in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district under the direction, supervision and control of the State Election Commission.

## Annexure - II

बिहार उपरकार  
कामीय विकास विभाग  
(कानून अधिभेद्य संसदक, पंचायत राज,  
विदायकधर्मर योजना एवं कोशी क्रांति योजना क कारी)  
पंचायत राज बिदेहालय

### अधिसूचना

सख्या 116

पटना, दिनांक 10-01-2007

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 (यथासंशोधित) के अधधीन राज्य के प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

#### बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

##### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- यह नियमावली बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006 कहलाएगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।
- यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

##### 2. परिभाषाएं :- जड़तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006)।
- "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित जिला परिषद का अध्यक्ष।
- "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।
- "जिला" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा जिला के रूप में अधिसूचित जिला।
- "जिला दण्डाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिले का दण्डाधिकारी और इनमें ऐसे अन्य पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन जिला दण्डाधिकारी के सभी या किसी कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो।
- "विहित" से तात्पर्य है अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।
- "जनसंख्या" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है पिछली जनगणना के आधार पर यथा अभिनिश्चित जनसंख्या।
- "जिला परिषद" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित किसी जिले का जिला परिषद।

- (अ) "नगर निकायों" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922, पटना नगर नियम अधिनियम, 1951 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1978 यथासंशोधित के अधीन गठित निकाय;
- (आ) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य नगरीय क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र से है;
- (इ) "नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य यथास्थिति नगर निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है;
- (उ) "समिति" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 167 (यथासंशोधित) के अधीन गठित जिला योजना समिति;
- (ड) "मेट्रोपोलिटन योजना समिति" से तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद-243ZB के प्रावधानों के अलोक में गठित मेट्रोपोलिटन योजना समिति;
- (घ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों को वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में दिए गए हैं।

3. समिति के सदस्य :- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 67 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे -

- (i) जिला परिषद के अध्यक्ष;
- (ii) जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के महापौर या अध्यक्ष;
- (iii) जिला योजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या का कम-से-कम 4/5 सदस्य जो संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होंगे।
- (iv) उपर्युक्त कंडिका (iii) में उल्लिखित जिला योजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम 4/5 सदस्य जिला परिषद और जिले में नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात (परिशिष्ट का स्तंभ 6 एवं 7) में परिशिष्ट के स्तंभ 15 एवं स्तंभ 16 में अंकित संख्या के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किए जाएंगे।

परन्तु यह कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् जनसंख्या निर्धारण होने के बाद इसे पुनर्निर्धारित किया जायगा।

4. समिति में निम्नलिखित स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे :-

- (क) (i) जिले के भू-भाग का पूर्णतः या अंशतः प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य
- (ii) जिले में मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्य सभा के सदस्य
- (iii) राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनका क्षेत्र उस जिला के अन्तर्गत पड़ता है,
- (iv) राज्य विधान परिषद के सदस्यगण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं,
- (v) जिला सहकारी बैंक/जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष,
- (vi) जिला दण्डाधिकारी।



- (ख) (i) समिति का कोई सदस्य समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा।
- (ii) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत या जिला परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।
- (iii) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है, तो रिक्त को नियम-6 के अधीन उपस्थित रीति से उसकी शेष पदावधि के लिए भरा जाएगा।
5. समिति का अध्यक्ष :- जिला परिषद का अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष होगा।
6. सदस्यों का निर्वाचन :-
- (i) राज्य निर्वाचन आयोग की ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने का, और उस निर्वाचन के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 187 (यथा संशोधित) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला योजना समिति का गठन करने हेतु जिला परिषद एवं सभी नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाई जायेगी।
- (iii) राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5 भाग सदस्य जो जिला परिषद के सदस्यों, जिले के नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के पार्षदों के बीच से उनके द्वारा विहित रीति से ग्रामीण क्षेत्रों और जिले के शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में निर्वाचित होंगे।
7. रिक्तियों इत्यादि समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी :- समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा।
8. समिति की बैठक एवं कार्य :-
- (i) समिति की बैठक जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर आयोजित की जायेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।
- (ii) समिति अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये विषय-वस्तु विशेषज्ञों को, ऐसी शर्तों पर जो विहित किये जायें, आमंत्रित कर सकेगी।
- (iii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाए, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (iv) जिला योजना समिति की बैठक का कार्य नियम 3 में उल्लिखित सदस्यों के आधे से अधिक से पूरा होगा।
- (v) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला योजना समिति का सचिव होगा एवं समिति की कार्यवाहियों को अनिलिखित करेगा।
- (vi) अधिनियम की धारा 88 की उप धारा (6) के अधीन जिला योजना पदाधिकारी योजना बनाने के मामले में जिला योजना समिति को परामर्श एवं यथावश्यक सहयोग देगा।
- (vii) जिला पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला योजना पदाधिकारी, जिला योजना समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।



9. समिति को शक्तियाँ और कृत्य :-

- (1) जिले की जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा नगर निगमों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समीक्षण करना और पूरे जिले के लिए विकास योजना प्रारूप बनाना।
- (2) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना;
- (3) विकेन्द्रीकृत योजना के लिये और जिला, शहर और प्रखंड संसाधन की विवरणी तैयार करने के लिये आंकड़े का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से संबंधित सूचना को एकत्रित, संकलित और अद्यतन करना;
- (4) ग्राम, प्रखंड शहर और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना;
- (5) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के संबंध में अनुशंसा करना;
- (6) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए उपान्तरित या संशोधित और समेकित करना;
- (7) राज्य सरकार को विकास योजना ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करना;
- (8) जिला के लिए रोजगार योजना तैयार करना;
- (9) जिला योजना के वित्त पोषण के लिये वित्तीय संसाधनों का प्रावधान तैयार करना;
- (10) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के अन्तर्गत प्रक्षेत्र और उप-प्रक्षेत्र के परिव्ययों की अनुशंसा करना;
- (11) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिये संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पञ्चवर्षीय और अग्रवर्षीय संयोजन पर विचार करते हुए अनुशंसा करना;
- (12) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसा करना;
- (13) राज्य सरकार को ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध हो सुझाव और संस्तुतियाँ देना।
- (14) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए स्थल चयन के संबंध में अनुशंसा देना;
- (15) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएँ।
- (16) अभिनियम की धारा 167 की उप धारा (7)(क)(i) में यथा अधिकथित जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर निगमों और परिषदों के परस्पर सामान्य हित के मुद्दों के साथ-साथ स्थानिक योजना, जल एवं अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधन स्रोत, आधारभूत संरचना, समेकित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण।
- (17) प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का भी अनिवार्य रूप से ध्यान रखेगी -
  - (i) उपरोक्त साधन स्रोतों चाहे वे वित्तीय हों या अन्वेषा की सीमा एवं प्रकार।
  - (ii) सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श।



10. अन्य पदाधिकारियों को बैठक में बुलाने का अधिकार :- जिला योजना समिति आवश्यकतानुसार जिला के अन्तर्गत कार्यरत तकनीकी पदाधिकारियों को योजना निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु बुला सकेगी। समिति जिला से सम्बद्ध क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष, जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अथवा किसी अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी को अपनी बैठकों में भाग लेने एवं योजना निर्माण में आवश्यक परामर्श देने हेतु आमन्त्रित कर सकेगी।
11. समिति का पुनर्गठन :- सरकार प्रेड्रोपोजिटिव योजना समिति का गठन हो जाने के पश्चात् संबंधित जिले की जिला योजना समिति को पुनर्गठित कर सकेगी।
12. जिला योजना का कार्यक्षेत्र :-
- (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2008 और नगरीय क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922, बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1961, बिहार टाउन प्लानिंग एवं इन्फ्रस्ट्रक्चर अधिनियम, 1951 तथा परटना नगर निगम अधिनियम, 1954 में प्राणित किये गये हैं।
- (2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे, जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए या राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे।
13. जिला योजना का अंतिम रूप दिया जाना :- समिति, जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देगी।
14. विवाद का समाधान :- यदि समिति के कृत्य, उसकी शक्ति या अधिकारिता के संबंध में या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विवाद या प्रश्न का राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका प्रिनिशियम अंतिम होगा।
15. समिति को कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति :- राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना के समन्वय और अनुसंधान से संबंधित ऐसे कृत्य जिनसे राज्य सरकार को विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हैं और जो वह आवश्यक समझे, समिति को समनुदेशित कर सकेगी।
16. समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी :- राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अधीन रहते हुए समिति अपने स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी।
17. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :- यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अथवा उसकी अधिकाधिकृत शासकीय एजेंट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक और उचित प्रतीत हो।





बिहार जिला योजना समिति का स्वरूप

क्र० सं०	जिला	ग्रामीण जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	आवादी के अन्तर्गत पर समिति के लिए अनुमानित सदस्यों की संख्या	जिला परिषद अध्यक्ष तथा जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले शहरी निकाय के महापौर/ अध्यक्ष	कुल सदस्यों की संख्या (स्तंभ 8+9)	समिति के कुल सदस्यों का 4/5 भाग	जिला परिषद से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या	शहरी निकाय से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	बक्सर	1273422	128974	1402396	91	9	20	2	22	18	16	2
2.	रोहतास	2123942	326806	2450748	87	13	30	2	32	26	22	3
3.	भोजपुर	1930730	312414	2243144	86	14	30	2	32	26	22	4
4.	नालन्दा	2016899	353629	2370528	85	15	30	2	32	26	22	4
5.	पटना	2757060	1961532	4718592	58	42	40	2	42	34	20	14
6.	कैमुर (भमुखी)	1247299	41775	1289074	97	3	20	2	22	18	17	1
	गया	2997479	475949	3473428	86	14	40	2	42	34	29	5
8.	नवादा	1671253	138443	1809696	92	8	20	2	22	18	16	1
9.	औरंगाबाद	1842998	170057	2013055	92	8	30	2	32	26	23	2
10.	जहानाबाद	813227	111612	924839	88	12	10	2	12	10	8	1
11.	अरवल	589476	0	589476	100	0	5	1	6	5	5	0
12.	सारण	2950064	288637	3248701	91	9	40	2	42	34	31	3
13.	सिवान	2564860	149489	2714349	94	6	30	2	32	26	24	1
14.	मोपालगंज	2022048	130590	2152638	94	6	30	2	32	26	24	2
15.	मुजफ्फरपुर	3398361	348353	3746714	91	9	40	2	42	34	30	3
16.	वैशाली	2531766	193655	2715421	93	7	30	2	32	26	24	2
17.	पूर्व चम्पारण, मोतिहारी	3688687	251086	3939773	94	6	40	2	42	34	31	2
18.	पूर्व चम्पारण, वैशाली	2733907	303559	3043466	90	10	40	2	42	34	30	3
	सीतामढ़ी	2529407	153313	2682720	94	6	30	2	32	26	24	1

1/1/17

क्र० सं०	जिला	ग्रामीण जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	आवादी के आधार पर समिति के सदस्यों की संख्या	जिला परिषद् अध्यक्ष तथा जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले शहरी निकाय के महापौर/ अध्यक्ष	कुल सदस्यों की संख्या (स्टॉम 8+9)	समिति के कुल सदस्यों का 4/5 भाग	जिला परिषद् से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या	शहरी निकाय से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	शिवहर	494699	21262	515961	96	4	5	2	7	6	5	0
21.	भागलपुर	1970745	452427	2423172	81	19	30	2	32	26	21	5
22.	बाँका	1552353	56420	1608773	96	4	20	2	22	18	17	1
23.	मधुबनी	3450736	124545	3575281	97	3	40	2	42	34	32	1
24.	समस्तीपुर	3271338	123455	3394793	93	4	40	2	42	34	31	3
25.	दरभंगा	3028441	267348	3295789	92	8	40	2	42	34	31	3
26.	सहरसा	1383015	125167	1508182	92	8	20	2	22	18	16	1
27.	मधेपुरा	1456679	67967	1524646	96	4	20	2	22	18	17	1
28.	सुपौल	1644370	88208	1732578	95	5	20	2	22	18	17	1
29.	पूर्णिमा	2321544	222398	2543942	91	9	30	2	32	26	23	2
30.	अररिया	2026257	132351	2158608	94	6	30	2	32	26	24	2
31.	किसानगंज	1167340	129098	1296438	90	10	20	2	22	18	16	2
32.	कटिहार	2174361	218277	2392638	91	9	30	2	32	26	23	2
33.	मुंगेर	819950	317687	1137637	72	28	20	2	22	18	13	5
34.	जमुई	1295552	103244	1398796	93	7	20	2	22	18	16	1
35.	बेगूसराय	2241743	107623	2349366	95	5	30	2	32	26	24	1
36.	खगड़िया	1204027	76327	1280354	94	6	20	2	22	18	17	1
37.	लखीसराय	684465	117740	802225	85	15	10	2	12	10	8	1
38.	रोहतास	444189	81313	525502	85	15	5	2	7	6	5	1
	कुल :-	74316709	8037360	82354069	3433	367	1985	75	1080	864	777	87

Annexure – III

भारत सरकार 24/116-38/2007/भा.प्र.सं.

बिहार सरकार  
राष्ट्रीय विकास विभाग  
(कार्य-अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज  
विचार/पाईट योजना एवं कोटी कर्मिता योजना पर कार्य)

अनुसू 5  
24/116-38/2007/भा.प्र.सं.  
9/11/07

प्रेषक,

डा० दीपक प्रसाद, भा०प्र०सं०,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11.01.2007।

विषय:

जिला योजना समिति के गठन हेतु जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संवाहन नियमावली, 2006 की प्रतिलिपि संलग्न कर भेजी जा रही है। नियमावली के नियम - 6 में जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराया जाना है।

जिला योजना समिति का गठन अबतक नहीं होने के कारण पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार से BRGF के अन्तर्गत राशि बिहार राज्य को अबतक आवंटित नहीं की गई है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में जिला योजना समिति का गठन शीघ्रतिशीघ्र किए जाने की आवश्यकता है ताकि भारत सरकार द्वारा चारू वित्तीय वर्ष में ही BRGF के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा सके।

अनुरोध है कि राज्य के सभी जिलों में जिला योजना समिति के गठन हेतु समिति के सदस्यों का निर्वाचन माह जनवरी, 2007 में ही सम्पन्न कराने की कृपा की जाय।

विश्वनाथनाथ  
6/11/07  
सरकार के सचिव  
व.प्र.सं.

बिहार सरकार  
सामाजिक विकास विभाग  
(भारत अशिक्षण संशोधन, पंचायत राज,  
विद्यार्थक/धार्मिक योजना एवं कौशली क्रांति योजना का कार्य)  
पंचायत राज विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 10-01-2007

संख्या 116

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 (यथासंशोधित) के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर नियामों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का श्रावण तैयार करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) यह नियमावली बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006 कहलाएगी।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।
- (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :- जबतक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006);
- (ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित जिला परिषद का अध्यक्ष;
- (ग) 'मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी;
- (घ) 'जिला' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा जिला के रूप में अधिसूचित जिला;
- (ङ) 'जिला दण्डाधिकारी' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिले का दण्डाधिकारी और इनमें ऐसे अन्य पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन जिला दण्डाधिकारी के सभी या किसी कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो;
- (च) 'विहित' से तात्पर्य है अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (छ) 'जनसंख्या' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है, पिछली जनगणना के आधार पर यथा अभिनिश्चित जनसंख्या;
- (ज) 'जिला परिषद' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित किसी जिले का जिला परिषद;

- (अ) "नगर निकायों" से अभिप्रेत हैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922, पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1978 यथासंशोधित के अधीन गठित निकाय,
- (ब) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य नगरीय क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र से है,
- (ट) "नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य यथास्थिति नगर निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है,
- (ठ) "समिति" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 167 (यथासंशोधित) के अधीन गठित जिला योजना समिति,
- (ड) "मेट्रोपोलिटन योजना समिति" से तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद-243ZE के प्रावधानों के आलोक में गठित मेट्रोपोलिटन योजना समिति,
- (ढ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में दिए गए हैं।
3. समिति के सदस्य :- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे -
- (i) जिला परिषद के अध्यक्ष,
- (ii) जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के महापौर या अध्यक्ष।
- (iii) जिला योजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या का कम-से-कम 4/5 सदस्य, जो संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होंगे।
- (iv) उपर्युक्त कड़िका (iii) में उल्लिखित जिला योजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम 4/5 सदस्य जिला परिषद और जिले में नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात (परिशिष्ट का स्तंभ 6 एवं 7) में परिशिष्ट के स्तंभ 15 एवं स्तंभ 16 में अंकित संख्या के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किए जाएंगे।

परन्तु यह कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् जनसंख्या निर्धारण होने के बाद इसे पुनर्निर्धारित किया जायगा।

4. समिति में निम्नलिखित स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे :-

- (क) (i) जिले के भू-भाग का पूर्णतः या अंशतः प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य
- (ii) जिले में नतदाता के रूप में पंजीकृत राज्य सभा के सदस्य
- (iii) राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनका क्षेत्र उस जिला के अन्तर्गत पड़ता है,
- (iv) राज्य विधान परिषद के सदस्यगण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं,
- (v) जिला सहकारी बैंक/जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष,
- (vi) जिला दण्डाधिकारी।

- (अ) (i) समिति का कोई सदस्य समिति को किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा।
- (ii) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत या जिला परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।
- (iii) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है, तो रिक्ति को नियम-8 के अधीन उपबंधित रीति से उसकी शेष पदावधि के लिए भरा जाएगा।

5. समिति का अध्यक्ष :- जिला परिषद का अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष होगा।

6. सदस्यों का निर्वाचन :-

- (i) राज्य निर्वाचन आयोग की, ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने का, और उस निर्वाचन के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 167 (यथा संशोधित) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला योजना समिति का गठन करने हेतु जिला परिषद एवं सभी नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाया जायेगा।
- (iii) राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5 भाग सदस्य, जो जिला परिषद के सदस्यों, जिले के नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के पार्षदों के बीच से उनके द्वारा विहित रीति से ग्रामीण क्षेत्रों और जिले के शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में निर्वाचित होंगे।

7. रिक्तियाँ इत्यादि समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी :- समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी सिद्धि के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा।

8. समिति की बैठक एवं कोरम :-

- (i) समिति की बैठक जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनोंक को और ऐसे समय पर आयोजित की जायेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।
- (ii) समिति अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये विशेष-वस्तु विशेषज्ञों को, ऐसी शर्तों पर जो विहित किये जायें, आमन्त्रित कर सकेगी।
- (iii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाए, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (iv) जिला योजना समिति की बैठक का कोरम नियम 3 में उल्लिखित सदस्यों के आधे से अधिक से पूरा होगा।
- (v) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला योजना समिति का सचिव होगा एवं समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य करेगा।
- (vi) अधिनियम की धारा 88 की उप धारा (6) के अधीन जिला योजना पदाधिकारी योजना बनाने के मामलों में जिला योजना समिति को परामर्श एवं सहायता सहयोग देगा।
- (vii) जिला पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला योजना पदाधिकारी, जिला योजना समिति की बैठकों में आमन्त्रित रूप से उपस्थित रहेंगे।

## 9. समिति की शक्तियाँ और कृत्य :-

- (1) जिले की जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा नगर निगमों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करना और पूरे जिला के लिए विकास योजना प्रारूप बनाना।
- (2) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना;
- (3) विकेंद्रीकृत योजना के लिये और जिला, शहर और प्रखंड संसाधन की विवरणी तैयार करने के लिये आंकड़ों का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से संबंधित सूचना को एकत्रित, संकलित और अद्यतन करना;
- (4) ग्राम, प्रखंड, शहर और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना;
- (5) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के संबंध में अनुशंसा करना;
- (6) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए उपात्तरित या संशोधित और समेकित करना;
- (7) राज्य सरकार को विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करना;
- (8) जिला के लिए सेजगार योजना तैयार करना;
- (9) जिला योजना के वित्त पोषण के लिये वित्तीय संसाधनों का प्रायकलन तैयार करना;
- (10) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के अन्तर्गत प्रक्षेत्र और उप-प्रक्षेत्र के परिचयों की अनुशंसा करना;
- (11) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिये संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चगामी और अग्रवर्ती संयोजन पर विचार करते हुए अनुशंसा करना;
- (12) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसा करना;
- (13) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध हो, सुझाव और संस्तुतियाँ देना।
- (14) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए स्थल चयन के संबंध में अनुशंसा देना;
- (15) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएँ।
- (16) अधिनियम की धारा 167 की उप धारा (7)(क)(i) में यथा अधिकथित जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर निगमों और परिषदों के परस्पर सामान्य हित के मुद्दों के साथ-साथ स्थानिक योजना, जल एवं अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधन स्रोत, आधारभूत संरचना, समेकित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण।
- (17) प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का भी अनिवार्य रूप से ध्यान रखेगी -
  - (i) उपलब्ध साधन स्रोतों चाहे वे वित्तीय हों या अन्यथा की सीमा एवं प्रकार।
  - (ii) सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श।



10. अन्य पदाधिकारियों को बैठक में बुलाने का अधिकार :- जिला योजना समिति आवश्यकतानुसार जिला के अन्तर्गत कार्यरत तकनीकी पदाधिकारियों को योजना निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु बुला सकेगी। समिति जिला से सम्बद्ध क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष, जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अथवा किसी अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी को अपनी बैठकों में भाग लेने एवं योजना निर्माण में आवश्यक परामर्श देने हेतु आमंत्रित कर सकेगी।
11. समिति का पुनर्गठन :- सरकार मेट्रोपोलिटन योजना समिति का गठन हो जाने के पश्चात् संबंधित जिले की जिला योजना समिति को पुनर्गठित कर सकेगी।
12. जिला योजना का कार्यक्षेत्र :-
- (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों के हितों बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 और नगरीय क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922, बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1961, बिहार टाउन प्लानिंग एवं इन्फ्रामैट ट्रस्ट अधिनियम, 1951 तथा पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 में प्रगणित किये गये हों।
- (2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे, जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए या राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे।
13. जिला योजना का अंतिम रूप दिया जाना :- समिति, जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देगी।
14. विवाद का समाधान :- यदि समिति के कृत्य, उसकी शक्ति या अधिकारिता के संबंध में या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
15. समिति को कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति :- राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना के समन्वय और अनुषंग से संबंधित ऐसे कृत्य जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हैं और जो वह आवश्यक समझे, समिति को समनुदेशित कर सकेगी।
16. समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी :- राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समिति अपने स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी।
17. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :- यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अथवा उसकी अपेक्षानुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक और उचित प्रतीत हो।

18. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण :- अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसारण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आवश्यक किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(संक्षिप्त संख्या-25/वि6-38/2006)

बिहार राज्यपाली के आदेश से

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक 10-01-2007

ज्ञापक 116

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रपालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनाथ अग्रसारित।

उन्से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतिशों पंचायत राज निदेशालय, बिहार, पटना को अधिलेख उपलब्ध करने की कृपा करें।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक 10-01-2007

ज्ञापक 116

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सचिव, राज्य नियोजन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सचय प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक 10-01-2007

ज्ञापक 116

प्रतिलिपि - सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निरंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के अपर सचिव

92.2

(1)

सचिव,

राज्य विधान सभा, पटना

4/11/07

## राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सोन भवन, तृतीय मंजिल,  
वीरचंद्र पटेल मार्ग, पटना- 800 001

पत्र संख्या - प0नि0 30-252/2006-C-20

प्रेषक,

रघुवंश कुमार सिन्हा,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी।

पटना, दिनांक 15 जनवरी, 07।

विषय : जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम।

महाशय,

ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना तथा कोशी व्रतन्ति योजना का कार्य), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 116 दिनांक 10.01.2007 द्वारा बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006 अधिसूचित किया गया है तथा इसकी प्रति सभी जिला दंडाधिकारियों को भी परिचारित की गई है। उक्त नियमावली के नियम 6 में सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसका अवतरण सुलभ प्रसंग हेतु उद्धृत किया जा रहा है:-

### "6. सदस्यों का निर्वाचन

- (i) राज्य निर्वाचन आयोग की ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने का, और उस निर्वाचन के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 167 (यथा संशोधित) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला योजना समिति का गठन करने हेतु जिला परिषद एवं सभी नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा।
- (iii) राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5 भाग सदस्य, जो जिला परिषद के सदस्यों, जिले के नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के पार्षदों के बीच से उनके द्वारा विहित रीति से ग्रामीण क्षेत्रों और जिले के शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में निर्वाचित होंगे।"

2. उक्त नियमावली के साथ संलग्न बिहार जिला योजना समिति का स्वरूप से संबंधित विवरणों के स्तम्भ 11 में जिलावार निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या अंकित है। उक्त विवरणों के स्तम्भ 12 एवं 13 में क्रमशः जिला परिषद से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या एवं जिला में अवस्थित नगर निकाय / निकायों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या उल्लिखित है। उक्त संख्या के अनुसार ही संबंधित जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन नीचे कंडिका 4 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कराया जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त विवरण परिशिष्ट - 1 के रूप में संलग्न है।

C:\m5\sec\comny\_1\m5\158

3. आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में जिला योजना समिति के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन दिनांक 1.02.2007 (बृहस्पतिवार) को कराने का निर्णय लिया गया है तथा उक्त निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु आयोग द्वारा संबंधित जिला दंडाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

4. जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा:-

- (i) जिला दंडाधिकारी जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सर्वप्रथम निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। निर्वाचक नामावली में मात्र जिला परिषद् के सदस्यों एवं जिले में नगर निकायों के सदस्यों का नाम, उनके पिता/पति का नाम तथा पता दर्ज किया जाएगा। निर्वाचक नामावली सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए ताकि इसमें किसी भी निर्वाचित सदस्य का नाम नहीं छूट पाए।
- (ii) अधिनियम की धारा 167(यथासंशोधित) के अधीन जिला योजना समिति का गठन करने हेतु, जिला दंडाधिकारी, जिला परिषद् एवं सभी नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों की संयुक्त बैठक अथवा आलग-अलग बुलाएगा। जिला दंडाधिकारी इस भाग में आगे निर्वाची पदाधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट होगा।
- (iii) समिति के लिए निर्वाचन जिला दंडाधिकारी द्वारा नियत समय पर जिला परिषद् के कार्यालय में अथवा जिला दंडाधिकारी द्वारा नियत अन्य स्थान पर होगा। संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित जिलावार संख्या के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद् से विहित सदस्यों (स्तंभ 12) एवं शहरी निकायों से विहित सदस्यों (स्तंभ 13) की संख्या के लिए ही निर्वाचन कराया जाएगा। जिला परिषद् से इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य ही इस निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकेंगे। इसी प्रकार जिले में अवस्थित नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य ही इस निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकेंगे। जिला परिषद् से निर्वाचित होने वाले विहित सदस्यों का निर्वाचन जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से, एवं नगर निकायों से निर्वाचित होने वाले विहित सदस्यों का निर्वाचन नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाएगा।
- (iv) निर्वाची पदाधिकारी कंडिका (ii) में निर्दिष्ट बैठक में जिला परिषद्/नगर निकायों के सदस्यों में से इच्छुक उम्मीदवारों से मनोनयन पत्रों की मांग करेगा।
- (v) (क) कंडिका (iv) के अधीन हरेक मनोनयन अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रपत्र में होगा और उस पर मनोनयन की अंतिमिति के रूप में उम्मीदवार का हस्ताक्षर रहेगा।  
(ख) एक निर्वाचक को प्रत्येक रिवित्त के लिए केवल एक उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करने का हक होगा।  
(ग) उप खंड (क) के अधीन प्रत्येक मनोनयन-पत्र उसी दिन उस अवधि के भीतर, जो निर्वाचन पदाधिकारी नियत करे, निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।
- (vi) निर्वाचन पदाधिकारी, कंडिका (v) के अधीन मनोनयन-पत्र प्रस्तुत करने के नियत समय के समाप्त होने पर तुरन्त सभी मनोनयन-पत्रों की परीनिरीक्षा शुरू कर देगा। परीनिरीक्षा के समय उम्मीदवार उपस्थित रह सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी उन्हें पेश किए गए सभी उम्मीदवारों के मनोनयन पत्रों की जाँच करने के लिए सभी समुचित सुविधाएं देगा।
- (vii) संवीक्षा बाद निर्वाची पदाधिकारी उस समय किसी भी मनोनयन-पत्र के संबंध में जो भी आपत्तियाँ की जाएगी, उन्हें निबटा देगा। वह आपत्ति किए जाने पर या स्वतः ऐसी किसी संक्षिप्त जाँच के बाद, जो वह

आवश्यक समझे, ऐसे मनोनयन-पत्रों को, जो कंडिका (v) के उपबंधों के अनुरूप न हों या जो निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र न हों, रद्द कर सकेगा तथा वह मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों की सूची तैयार करके उनके नाम उद्घोषित कर देगा।

(viii) (क) यदि मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो तो सभी उम्मीदवारों को अविलंब निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) यदि मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाची पदाधिकारी किसी उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से अपना मनोनयन वापस लेने के लिए, यदि उम्मीदवार ऐसा करना चाहे, कुछ समय देने के पश्चात उसी दिन गुप्त मतपत्र के जरिए मत होगा।

(ग) निर्वाची पदाधिकारी अनुसूची - 2 में निर्दिष्ट प्रतीकों की सूची में से समिति के लिए विधिमाम्य रूप से नाम निर्दिष्ट हरेक उम्मीदवार के लिए एक प्रतीक उम्मीदवारों को उनके नाम के वर्णक्रम से बाँट देगा तथा उसे उद्घोषित करते हुए सूचना-पट पर प्रकाशित कर देगा। ये प्रतीक वही हैं जो पंचायत आम चुनाव, 2006 में जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन हेतु आयोग की अधिसूचना संख्या 05 दिनांक 22.02.2006 द्वारा आपको संसूचित हैं।

(ix) (क) निर्वाची पदाधिकारी जब मतदान प्रारंभ करेगा तो वह बैठक में उपस्थित हरेक निर्वाचक को एक-एक करके मतपत्र बाँट या बँटवा देगा जिस पर मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों के नाम तथा उनके नामों के सामने उनके अपने-अपने चिह्न चिपकाए गए रहेंगे और उस पर निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा।

(ख) मत देने का इच्छुक निर्वाचक जिन उम्मीदवारों को मत देना चाहे उनके नामों के सामने मतपत्र पर क्रम लगा देगा और तब उसे इस प्रयोजन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के निकट रखी मतपेटी में डाल देगा। यदि कोई निर्वाचक रिवित्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में मत दे तो उसका मतपत्र शून्य समझा जाएगा।

(x) (क) सभी मतदाताओं द्वारा मत दिए जाने के तुरन्त बाद निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचकों की उपस्थिति में ही मतपेटी खेलेगा तथा उम्मीदवारों के नाम और उनमें से हरेक द्वारा प्राप्त मान्य मतों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक विवरण तैयार करके तथा जिन उम्मीदवारों को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हों उन्हें भरी जाने वाली रिवित्तियों की संख्या के अनुसार यथावत् निर्वाचित घोषित कर देगा।

(ख) यदि मतगणना के बाद यह पाया जाए कि किन्हीं दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हुए हैं, तो परिणाम का निर्णय लौटरी द्वारा किया जाएगा। यदि मतगणना के बाद यह पाया जाए कि किन्हीं दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हुए हैं और एक मत और मिल जाने से उनमें से कोई एक निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा तो निर्वाचन पदाधिकारी लौटरी द्वारा उन उम्मीदवारों को अविलंब निर्णय करेगा और जिस उम्मीदवार या जिन उम्मीदवारों के पक्ष में लौटरी पड़े उसके या उनके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने या उन्होंने एक और मत प्राप्त कर लिया है और तब वह या वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। लौटरी निकालने की वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो आयोग पूर्व परिचारित आयोग के पत्रांक सी-2090 दिनांक 11.08.2006 की कंडिका - 4(6) में उल्लिखित है।

(xi) (क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार के निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद, यथाशीघ्र वह (निर्वाचन पदाधिकारी) ऐसे उम्मीदवार को अनुसूची-3 में विहित प्रपत्र में निर्वाचन प्रमाण पत्र दे देगा और उम्मीदवार से उसकी पावती ले लेगा।

आवश्यक समझे, ऐसे मनोनयन-पत्रों को, जो कंडिका (1) के उपबंधों के अनुरूप न हों या जो निर्वाचन के लिए अन्वया पात्र न हो, रद्द कर सकेगा तथा वह मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों की सूची तैयार करके उनके नाम उद्धोषित कर देगा।

(viii) (क) यदि मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो तो सभी उम्मीदवारों को अविलंब निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) यदि मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाची पदाधिकारी किसी उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से अपना मनोनयन वापस लेने के लिए, यदि उम्मीदवार ऐसा करना चाहे, कुछ समय देने के पश्चात उसी दिन गुप्त मतपत्र के जरिए मत लेगा।

(ग) निर्वाची पदाधिकारी अनुसूची - 2 में निर्दिष्ट प्रतीकों की सूची में से समिति के लिए विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट हरेक उम्मीदवार के लिए एक प्रतीक उम्मीदवारों को उनके नाम के वर्णक्रम से बाँट देगा तथा उसे उद्धोषित करते हुए सूचना-पट पर प्रकाशित कर देगा। ये प्रतीक वही हैं जो पंचायत आम चुनाव, 2006 में जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन हेतु आयोग की अधिरुचना संख्या 05 दिनांक 22.02.2006 द्वारा आपको संसूचित हैं।

(ix) (क) निर्वाची पदाधिकारी जब मतदान प्रारंभ करेगा तो वह बैठक में उपस्थित हरेक निर्वाचक को एक-एक करके मतपत्र बाँट या बाँटवा देगा जिस पर मान्यरूप से मनोनीत उम्मीदवारों के नाम तथा उनके नामों के सामने उनके अपने-अपने चिह्न चिपकाए गए रहेंगे और उस पर निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा।

(ख) मत देने का इच्छुक निर्वाचक जिन उम्मीदवारों को मत देना चाहे उनके नामों के सामने मतपत्र पर क्रमसं लगा देगा और तब उसे इस प्रयोजन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के निकट रखी मतपेटी में डाल देगा। यदि कोई निर्वाचक रिकित्तों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में मत दे तो उसका मतपत्र शून्य समझा जाएगा।

(x) (क) सभी मतदाताओं द्वारा मत दिए जाने के तुरन्त बाद निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचकों की उपस्थिति में ही मतपेटी खेलेगा तथा उम्मीदवारों के नाम और उनमें से हरेक द्वारा प्राप्त मान्य मतों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक विवरण तैयार करके तथा जिन उम्मीदवारों को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हों उन्हें भरी जाने वाली रिकित्तों की संख्या के अनुसार यथावत् निर्वाचित घोषित कर देगा।

(ख) यदि मतगणना के बाद यह पाया जाए कि किन्हीं दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हुए हैं, तो परिणाम का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा। यदि मतगणना के बाद यह पाया जाए कि किन्हीं दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हुए हैं और एक मत और मिल जाने से उनमें से कोई एक निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा तो निर्वाचन पदाधिकारी लॉटरी द्वारा उन उम्मीदवारों को अविलंब निर्णय करेगा और जिस उम्मीदवार या जिन उम्मीदवारों के पक्ष में लॉटरी पड़े उसके या उनके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने या उन्होंने एक और मत प्राप्त कर लिया है और तब वह या वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। लॉटरी निकालने की वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो आपने पूर्व परिचारित आयोग के पत्रांक सी-2090 दिनांक 11.08.2006 की कंडिका - 4(6) में उल्लिखित है।

(xi) (क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार के निर्वाचति घोषित किए जाने के बाद, यथाशीघ्र वह (निर्वाचन पदाधिकारी) ऐसे उम्मीदवार को अनुसूची-3 में विहित-पत्र में निर्वाचन प्रमाण पत्र दे देगा और उम्मीदवार से उसकी पावती ले लेगा।

(ख) निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन के परिणामों को जिला परिषद् के सूचना-पट पर प्रकाशित कर देगा एवं इसके बारे में एक प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग/पंचायत राज निदेशालय / नगर विकास विभाग को भी भेजेगा।

(xii) (क) निर्वाचन पदाधिकारी हरेक निर्वाचन के संबंध में सभी मतपत्रों को चाहे उनकी गणना हुई हो या उन्हें रद्द कर दिया गया हो, एक अलग पैकेट में रखेगा और उसे मुहरबन्द कर देगा और उस पर उसकी अन्तर्वस्तु का विवरण, जिस निर्वाचन से उसका संबंध हो, और उसकी तारीख लिख देगा।

(ख) निर्वाचन न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना न तो पैकेट खोला ही जाएगा और न उसकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण ही किया जाएगा या वह कहीं पेश की जाएगी।

(ग) पैकेट को संबद्ध जिला के अभिलेखागार में एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा और तब, यदि निर्वाचन न्यायालय या कोई सक्षम न्यायालय आदि अन्यथा निर्देश न दे, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा।

5. अनुरोध है कि निर्वाचन हेतु बैठक की सूचना 17.01.2007 तक निश्चित रूप से निर्गत कर दी जाए तथा स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनाव कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयां की जाएं। निर्वाचन संचालन के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम अथवा संशय उत्पन्न होने पर अविलंब राज्य निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए तथा तदनुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,  
14.1.07  
सचिव।

अनुसूची - 1

जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए मनोनयन-फारम।

मैं (प्रस्तावक का नाम) ..... इसके द्वारा श्री/ श्रीमती

पिता/पति का नाम श्री

ग्राम

डाकघर

जिला

को जिला योजना समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में मनोनीत करता हूँ।

प्रस्तावक का हस्ताक्षर।

उम्मीदवार की घोषणा।

मैं उपरिनामित उम्मीदवार, इस मनोनयन के लिए अपनी सहमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मुझमें बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 में उल्लिखित कोई आयोग्यता नहीं है तथा मैं उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ..... के रूप में ..... / निर्वाचन के लिए उम्मीदवार होने योग्य हूँ।

तारीख

स्थान

उम्मीदवार का हस्ताक्षर।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पृष्ठांकन

क्रम संख्या

यह मनोनयन-पत्र (नाम)

को

बजे मेरे समक्ष पेश किया गया।

द्वारा तारीख

तारीख

स्थान

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

निर्वाची पदाधिकारी का आदेश - मंजूर / नामंजूर।

नामंजूरी के कारण

तारीख

स्थान

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

अनुसूची - 2  
प्रतीक

- |                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. पतंग           | 2. लेडी पर्स      | 3. लेटर बाक्स   |
| 4. ताला और चाबी   | 5. भवका           | 6. प्रेशर कुकर  |
| 7. रेल का इंजन    | 8. आरी            | 9. कैंची        |
| 10. सिलाई की मशीन | 11. स्लेट         | 12. चम्मच       |
| 13. स्टूल         | 14. मेज           | 15. टेबुल लैम्प |
| 16. गैस का चूल्हा | 17. कांच का गिलास | 18. हारमोनियम   |
| 19. टोप           | 20. वायलीन        |                 |

सुरक्षित प्रतीकों की सूची

- |             |                  |              |
|-------------|------------------|--------------|
| 1. बल्लेबाज | 2. डबल रोटी      | 3. ग्रीफकेस  |
| 4. कैक      | 5. कोट           | 6. डीजल पम्प |
| 7. लिफाफा   | 8. हैंगर         | 9. आइसक्रीम  |
| 10. अंगूठी  | 11. कलम और दावात |              |

अनुसूची - 3

मैं निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने तारीख ..... को  
..... निवासी श्री ..... को  
जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में यथावत् निर्वाचित घोषित किया है तथा उसके  
प्रमाण-स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया।

निर्वाची पदाधिकारी  
जिला योजना समिति

तारीख .....

स्थान .....

ComSecretary\_1.ppt:103

## राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सोन भवन, तृतीय मंजिल,  
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना- 800 001

पत्र संख्या -प0नि0 30-252/2006-C-81

प्रेषक,

रघुवंश कुमार सिन्हा,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला एण्डाधिकारी -सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक 29 जनवरी, 07।

विषय : जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान/मतगणना की प्रक्रिया के संबंध में।  
महाशय,

आयोग के पत्रांक सी-20 दिनांक 15.01.2007 की कड़िया-3 की उपकड़िका (vii), (ix), (x), (xi) एवं (xii) में जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान/मतगणना आदि की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। फिर भी कुछ जिलों से पृच्छा की जा रही है कि मतदाता द्वारा किस प्रकार मतपत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

2. निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आयोग का निम्न निदेश ससूचित किया जाता है:-

- (1) मतदान कराने की स्थिति तभी उत्पन्न होगी, जब वैध रूप से मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो जाए। उदाहरणस्वरूप, मान लिया जाए कि सुपौल जिला परिषद् में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 है। सुपौल जिला योजना समिति के लिए जिला परिषद् से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 17 है, जिसमें से 8 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तथा 9 स्थान खुले हुए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के लिए केवल जिला परिषद् की निर्वाचित महिला सदस्य ही नामांकन भर सकती हैं। जो महिला सदस्य आरक्षित श्रेणी से अपना नामांकन भरेंगी, वे शेष 9 खुले स्थान के लिए नामांकन नहीं भर सकेंगी। अगर महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग में 10 महिलाओं द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तथा सभी नामांकन पत्र वैध पाए जाते हैं तो 8 महिला पदों के लिए 10 महिला उम्मीदवार मैदान में होंगी तथा ऐसी स्थिति में मतदान कराने की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार अगर शेष 9 खुले स्थानों के लिए 12 नामांकन पत्र स्वीकृत किए जाते हैं, तो यहाँ भी 9 स्थानों के लिए 12 उम्मीदवार होंगे तथा मतदान कराने की आवश्यकता होगी।
- (2) मान लिया जाए कि जिला योजना समिति के सदस्यों के चयन हेतु आयोजित बैठक में उपस्थित जिला परिषद् सदस्यों की कुल संख्या भी 25 है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल 25 निर्वाचक हैं जो अपने बीच से 8 महिला सदस्यों के लिए तथा 9 अन्य सदस्यों के लिए चुनाव भरेंगे।
- (3) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दो तरह के मतपत्र बनाए जाएंगे। प्रथम तरह के मतपत्र में विधिमाम्य रूप से मनोनीत महिला उम्मीदवारों के नाम तथा उनके नाम के सामने उन्हें आवंटित प्रतीक अनुकृति सहित अंकित रहेंगे तथा मतपत्र के अंत में वार्डों और निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा। इसी प्रकार दूसरे तरह के मतपत्र में विधिमाम्य रूप से मनोनीत अन्य सदस्यों के नाम तथा उनके नाम के सामने उन्हें आवंटित प्रतीक अनुकृति सहित अंकित रहेंगे तथा मतपत्र के अंत में वार्डों और निर्वाची पदाधिकारी का

C:\m\secretary\_1\m51191

लगाताए .....

हस्ताक्षर रहेगा। सुपौल जिला योजना समिति के मामले में दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रथम तरह के मतपत्र में 10 महिला उम्मीदवारों के नाम उनके प्रतीक एवं अनुकृति के साथ अंकित रहेंगे तथा दूसरे तरह के मतपत्र में 12 उम्मीदवारों के नाम उनके प्रतीक एवं अनुकृति के साथ अंकित रहेंगे।

- (4) अब निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित निर्वाचकों को दोनों तरह के एक-एक मतपत्र दिए जाएंगे तथा उन्हें कहा जाएगा कि वे प्रत्येक मतपत्र पर रिक्तियों की संख्या के अनुसार क्रॉस (X) चिह्न लगाएं। अर्थात् सुपौल के मामले में प्रथम तरह के मतपत्र में एक मतदाता द्वारा 10 नामों में से अधिकतम 8 नामों पर तथा दूसरे तरह के मतपत्र में 12 नामों में से अधिकतम 9 नामों पर क्रॉस (X) चिह्न लगाया जाएगा। अगर किसी मतदाता द्वारा प्रथम तरह के मतपत्र में 8 से अधिक नामों के आगे तथा दूसरे तरह के मतपत्र में 9 से अधिक नामों के आगे क्रॉस (X) का चिह्न लगा दिया जाए, तो वह मतपत्र इनभैलिड माना जाएगा। अतः मतदान शुरू होने के पहले प्रत्येक निर्वाचक को यह अच्छी तरह समझा दिया जाना चाहिए कि वे प्रत्येक कैटेगरी में रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही क्रॉस (X) चिह्न लगाएं। इससे अधिक चिह्न लगाने पर मतगणना के दौरान वह मतपत्र इनभैलिड कर दिया जाएगा। अगर किसी मतदाता द्वारा रिक्तियों की संख्या से कम उम्मीदवारों के नाम के सामने क्रॉस (X) चिह्न लगाया जाता है तो वह मतपत्र इनभैलिड नहीं माना जाएगा- जिन अभ्यर्थियों के आगे क्रॉस (X) चिह्न लगाया रहेगा, मात्र उनके खाले में ही उक्त मत को शामिल किया जाएगा।
- (5) दोनों तरह के मतपत्रों पर क्रॉस (X) चिह्न लगा देने के पश्चात निर्वाचक उन्हें निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष रखी दो मतपेटियों में अलग-अलग डाल देगा तथा पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएगा। प्रथम मतपेटि में आरक्षित महिला सीटों के लिए किए गए मतदान से संबंधित मतपत्र डाले जाएंगे तथा दूसरी मतपेटि में खुली सीटों के लिए किए गए मतदान से संबंधित मतपत्र डाले जाएंगे। प्रत्येक मतपेटि पर बोल्ड अक्षरों में यथाअनुसार आरक्षित पद / अनारक्षित पद लिख दिया जाएगा ताकि कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो। मतदान शुरू कराने के पूर्व निर्वाची पदाधिकारी उक्त मतपेटियों को सभी निर्वाचकों को खोलकर दिखा देगा कि वे पूर्णरूपेण खाली हैं।
- (6) मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचकों की उपस्थिति में ही मतपेटि खोलेगा तथा उम्मीदवारों के नाम और उनमें से हरेक द्वारा प्राप्त गान्य मतों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक विवरण तैयार करेगा तथा जिन उम्मीदवारों को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हों, उन्हें भरी जाने वाली रिक्तियों के अनुसार निर्वाचित घोषित कर देगा।
- (7) किन्हीं दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में परिणाम का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

3. नगर निकायों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों के संबंध में भी कडिका-2 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. अनुरोध है कि तदनुसार निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन  
29.1.07  
सचिव।

ज्ञापांक-प0नि0 30-252/2006-C - 81

प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभिवृद्धि संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना तथा कौशेली क्रान्ति योजना का कार्य), बिहार, पटना/निदेशक, पंचायत राज, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 29 जनवरी, 07।

29.1.07  
सचिव।

कार्यालय, जिला परिषद मधुबनी।

पत्रांक : 662 जि०प० दिनांक - 29/6/2009

प्रषक,

उप विकास आयुक्त -सह  
मुख्य कार्यपालक महाधिकारी  
जिला परिषद मधुबनी।

सेवा में,

- सभी माननीय विधानसभा सदस्य, मधुबनी जिला।  
सभी माननीय विधान परिषद सदस्य, मधुबनी जिला।  
माननीय अध्यक्ष, नगर परिषद -सह- सदस्य जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री प्रेम कुमार मंडल, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री अजित कुमार झा, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री अशोक कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री नीरज कुमार झा, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री जादवीर हुसैन, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री अखिल हुसैन, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री कमरुल होदा, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री विवेक भंडारी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री रोहित भारद्वाज यादव, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री प्रभात रंजन कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री संजय कुमार पासवान, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री भारत भूषण, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री चन्द्रवीर कामत, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री दिनेश प्रसाद यादव, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री संजय कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री सुनील कुमार प्रसाद, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्री वैद्यनाथ पासवान, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती मुनी खातून, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती रंजना खातून, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती कुमारी भगता देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती मादवी देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती मनोरमा देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती ललिता कुमारी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती बन्धन कुमारी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती गीता देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती संगीता ठाकुर, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती बन्धना देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती भारती मोहता, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती वीणा देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती विक्रमश्रीला देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती ब्रिजिता देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती वीणा देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती कृष्णा देवी, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।  
श्रीमती अनुजा झा, जिला परिषद सदस्य -सह- सदस्य, जि०यो०स०, मधुबनी।

विषय :- दिनांक 04.07.2009 को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेने के सम्बंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि जिला योजना समिति की पूर्व निर्धारित बैठक दिनांक 04.07.2009 को अपरिहार्य कारणवश स्थापित करते हुए पुनः जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 11.07.2009 को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बैठक में भाग लेने का कष्ट किम्मा जाय।

विचारणीय विषय पूर्वमत् रहेगी।

दिव्यनाथ

उप विकास अधिकारी सह  
मुख्य कार्यपालक महाधिकारी  
जिला परिषद, मधुबनी।

विचारणीय विषय :-

- 1 गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।
- 2 वर्ष 2008-09 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के अनुमोदन पर विचार।
- 3 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के प्राथमिकता सूची के अनुमोदन पर विचार।
- 4 मधुबनी जिला के "पलान प्लस" योजना अन्तर्गत जिला योजना तैयार करने पर विचार।
- 5 अन्याय ।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त राह  
मुख्य कार्यपाल प्रदाधिकारी  
जिला परिषद, मधुबनी।

07/01/10

दिनांक 30.05.2008 को श्रीमती रागिनी देवी, अध्यक्ष जिला परिषद, मधुबनी की अध्यक्षता में हुई जिला योजना समिति बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- उपस्थिति पंजी में ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों एवं विभिन्न विभागों से आए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा उप विकास आयुक्त को बैठक आरंभ करने हेतु अनुमति दी गई, तद्नुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

पिण्डा क्षेत्र अनुदान निधि योजना से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यों के विचार का स्वागत किया । उन्होंने वार्षिक कार्ययोजना/दीर्घकालीन कार्य योजना ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं नगर निकाय से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखा ।

उप विकास आयुक्त के द्वारा बी०आर०जी०एफ० के सम्बन्ध में जानकारी दी गई । साथ ही स्पष्ट किया गया कि बिरुफी, राजकार एवं लदनियाँ पंचायत समिति से योजना पारित होकर नहीं आयी है, उन्हें बेतार सम्वाद द्वारा तुरंत प्राप्त कराने का निर्देश रखा गया है । नगर निकाय, जयनगर से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

उप विकास आयुक्त के द्वारा जिला योजना पदाधिकारी एवं ग्रिया संस्था से आए प्रतिनिधि से विमर्श किया गया एवं उनके द्वारा सदन को बी०आर०जी०एफ० के सम्बन्ध में जानकारी दी गई ।

विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया गया ।

कार्यवाही सं०

1:- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं नगर निकाय से प्राप्त वर्ष 08-09 की वार्षिक कार्ययोजना एवं दीर्घकालीन योजना को पारित किया गया तथा लदनियाँ/बिरुफी एवं राजकार पंचायत समिति तथा नगर निकाय जयनगर के लिए प्रस्ताव पारित हुआ कि उन्हें भी प्रस्ताव प्राप्त कर जिला योजना में शामिल कर ली जाय ।

वर्ष 07-08 के लिए नगर निकाय बहारपुर/घोघरडीवा एवं जयनगर द्वारा कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, जिसके क्रम में निर्णय हुआ कि वर्ष 08-09 में जो योजना उन्हें प्राप्त हुई है उसमें से 07-08 की राशि से योजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता में किया जा सकता है ।

विचार विमर्श के क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 07-08 में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति /जिला परिषद एवं नगर निकाय के लिए जो भी योजना सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, किंतु उपलब्ध राशि के तहत योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी, अग्रेय योजना को दीर्घकालीन योजना में सम्मिलित कर लिया जाय।

बू०पू०३३० ...../-

कार्यवाही संख्या--:2

विवार विमर्श के उपरान्त वर्ष 08-09 हेतु प्रद्वैतवार राशि व्यय करने हेतु निम्न प्रकार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :-

क्रमांक	प्रदेश	राशि .% में	योजना का प्रकार	अध्ययित
1.	पथ/पुलिया	40.%	मिदीपथ/ईटसी लिमि/पी0सी0डी0 हूमपाईप पुलिया/पी.सी.सी. पुलिया ।	निर्माण/भरस्यति
2.	शिक्षा	10 .%	प्राथमिक/मोवि0/पुस्तकालय/ प्रयोगशाला/कम्प्यूटररूम/क्री मैदान छात्रावास/भंग	निर्माण/भरस्यति
3.	स्वास्थ्य	5.%	प्र0स्वा0केन्द्र/स्वा0उपकेन्द्र	निर्माण/भरस्यति
4.	लघु सिंचाई	5.%	तालाव/अडर/पईच/बांध/सुनिसंगट	निर्माण/भरस्यति
5.	पेयजलापूर्ति	10.%	वापाकल/पाईप जलापूर्ति	
6.	स्थानीय विकास योजनाएं	30.%	पंचायत भवन/सायुदायिक भवन/ किसान भवन/बबूतरा/यात्रीशैल/ आगिणवाड़ी/पक्कीनाली/झमीन समतलीकरण/ विद्यु उद्यान/ सोलाह लाईट	

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निकाय/जिला परिषद पंचायत समिति/पंचायत के लिए वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत या कर्णीकृत राशि के अनुसार जिलानी योजनाएं ली जायगी उसमें सरकारी मार्गदर्शिका के अनुसार विशेष अंगीभूत योजना (अनुयाति/व्यवसायि) के तहत 17. % राशि अनिवार्य रूप से व्यय किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

जि0 योजना पदा  
मधुवनी ।

उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यवाही पदाधिकारी जि0म0/जि0य0स0मधुवनी  
जि0म0मधुवनी ।

21/03/08  
30-5-08  
अध्यक्ष

ज्ञापक 113 /जि0परि0 मधुवनी, दिनांक 31 मई, 2008  
प्रतिनिधि सभी माननीय सदस्य जिला योजना समिति मधुवनी जिला को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिनिधि माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद, मधुवनी को सूचनार्थ प्रेषित ।  
प्रतिनिधि मान0 अध्यक्ष, नगर पंचायत, बंधारपुर/घोचरडीहा/रई जयनगर को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यवाही पदाधिकारी,  
जि0म0मधुवनी ।

ज्ञापसंख्या 113 /जि0म0 मधुवनी, दिनांक 31 मई, 2008

प्रतिनिधि जिला पदाधिकारी मधुवनी के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।  
प्रतिनिधि आयुक्त, दरभंगा, जमशेदपुर, दरभंगा के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।  
प्रतिनिधि निदेशक, पंचायतीराज, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यवाही पदाधिकारी,  
जिला परिषद, मधुवनी

आजमेत 2007-08 में संचालित, जिना समिति, मधुबनी का कार्यकाल में दिनांक 11.07.09 को समाप्त होने के बाद के कार्यवाही के बंदक के कार्यवाही।

कार्यवाही संख्या : 1

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मधुबनी द्वारा संचालित कार्यकाल एवं विभिन्न कार्यवाही में जिन कार्यवाही का बंदक कार्यवाही का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बंदक कार्यवाही में अनुमति दी गई, परन्तु कार्यवाही का बंदक कार्यवाही में नहीं।

कार्यवाही संख्या : 1

जिन बंदक के कार्यवाही को सम्पूर्ण कार्यवाही में की गई।

कार्यवाही संख्या : 2

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मधुबनी द्वारा संचालित किया गया कि पिछला राज अनुदान योजना अर्थात् वर्ष 2007-08 में विद्यमान पंचायत राज क्षेत्रों एवं नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को आवंटित राशि से कार्यान्वित योजनाओं का पूर्ण प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु सभी प्रमुख विकास पदाधिकारी, मधुबनी जिला को वेतार संबोधित किया गया है। योजना का पूर्ण प्रतिवेदन प्रेषित करने पर वर्ष 2007-08 की योजना कायम प्लान में प्रविष्टि की जाएगी।

इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में आवंटित राशि के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक योजना में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का पूर्ण प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु सभी प्रमुख विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था।

समस्त जिन पत्राचारों से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है की स्वीकृति सर्वप्रथम से दिया गया।

कार्यवाही संख्या : 3

श्री नारायण चरण यादव, SO/10/10 द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जिना समिति को प्रथम सूचीबद्ध अधिनियम के अन्तर्गत जिन में माननीय अध्यक्ष मधुबनी के द्वारा जिला समिति समिति के बंदक कार्यवाही में सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मधुबनी को वेतार संचालित कार्यवाही का अनुदान का प्रेषण किया गया था।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मधुबनी द्वारा संचालित किया गया कि जिना समिति के बंदक कार्यवाही का कार्य सरकार द्वारा पूरे में की किया जा चुका है, जिसके स्वस्थ जिले के सभी लाइन विभाग के पदाधिकारी है। पुनः पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है।

जिला समिति समिति के कार्यान्वयन की दिशा में जमीन जिले के लाइन विभाग अपने अधिकारी का पूरा निवादन नहीं कर रहे हैं। परन्तु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुदान योजना का कार्य जिना समिति में नहीं हो पा रहा है एवं सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की पूर्ति नहीं हो पा रही है। परन्तु प्राप्त अनुदान का कार्य जिले के विकास में होना आवश्यक है। इसलिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों से प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति जिला परिषद से प्राप्त होने के उपरान्त जिला समिति से ली गई है या ली जाती है।

अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पूर्ण निर्धारित वार्षिक योजनाओं में से वर्ष 2009-10 की प्राथमिकता मुझे की स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के रतार पर जहाँ से कार्यान्वयन में प्राप्त हो चुका है या होगा की कार्यान्वित राशि के अन्तर्गत स्वीकृत की जाए।

श्री नारायण चरण यादव, SO/10/10 द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जिना समिति समिति में विभागीय एवं संचालक मधुबनी की योजनाओं की भी स्वीकृति की जाए।

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह  
निदेशक  
पंचायती राज बिहार पटना।

सेवा में

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी, जिला परिषद (सीवान को छोड़कर)।  
सभी जिला योजना पदाधिकारी-सह-मुख्य योजना  
पदाधिकारी (सीवान को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 01/02/2008।

विषय : बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 की वार्षिक जिला योजना एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए दीर्घकालीन योजनाओं की तैयारी हेतु दिशा-निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए दीर्घकालीन योजनाओं (Perspective Plans) की तैयारी हेतु जिलास्तरीय कोर टीम (District Level Core Team) का गठन किया जाना है। जिले के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद District Level Core Team के अध्यक्ष एवं जिला योजना पदाधिकारी-सह-मुख्य योजना पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव/संयोजक होंगे। कोर ग्रुप के अन्य सदस्यों में जिले के निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होंगे :-

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| (1) जिला कृषि पदाधिकारी                                      | - | सदस्य |
| (2) जिला पशुपालन पदाधिकारी                                   | - | सदस्य |
| (3) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी                                 | - | सदस्य |
| (4) जिला शिक्षा पदाधिकारी                                    | - | सदस्य |
| (5) जिला शिक्षा अधीक्षक                                      | - | सदस्य |
| (6) कार्यपालक अभियंता (पी०एच०ई०डी०)                          | - | सदस्य |
| (7) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी                                 | - | सदस्य |
| (8) जिला कल्याण पदाधिकारी                                    | - | सदस्य |
| (9) जिला पंचायत राज पदाधिकारी                                | - | सदस्य |
| (10) जिला मुख्यालय के नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी | - | सदस्य |


अवश्यकानुसार District Level Core Team जहाँ जिले के अन्य पदाधिकारियों से भी सहयोग ले सकता है।

2. जिला योजनाओं की तैयारी हेतु जिलों को प्रत्येक वर्ष 10.00 लाख रुपये के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक करोड़ रुपये का अंतरिम अनुदान प्रदान किया जायेगा।

3. जिला योजनाओं की तैयारी हेतु जिलों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Technical Support Institutions का गठन कर विभिन्न जिलों में अर्जित किए गए हैं (विवरण संलग्न)। ये Technical Support Institutions पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक - N-11019/504/07-Pol-1 दिनांक 01.11.2007 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में बी0आर0जी0एफ0 के तहत वार्षिक जिला योजना 2008-09 एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करेंगी।


4. जिला योजनाओं की तैयारी हेतु सरकार द्वारा सभी बी0आर0जी0एफ0 जिलों को प्रति जिला 10.00 लाख रुपये (अरवल एवं जहानाबाद का संयुक्त रूप से) विमुक्त किए जा रहे हैं। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिले से संबंधित Technical Support Institutions के साथ समझौता ज्ञापक (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगे (MoU की म्यनक प्रति सुविधा हेतु संलग्न)।

अनुलग्नक-यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन,  
  
निदेशक  
पंचायती राज, बिहार, पटना।

ज्ञापक - 2प/वि-6-102/2008/पंराज/ 554 / पटना, दिनांक 01 / 02 / 2008।

प्रतिलिपि -- मुख्य महाप्रबंधक नावार्ड, मौर्यालोक कम्प्लेक्स, पटना/डा० एस० के० सिंह/प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सेन्टर फॉर पंचायती राज, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद/राष्ट्रीय संयोजक केयर इण्डिया, 27, हॉज खास विलेज, नई दिल्ली/राज्य संयोजक, प्रिया, 1/16 बुद्ध कॉलोनी, पूर्वी बोरिंग कैनल सेड, पटना/महाराजगंज, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, राज नीलम, अशोकपुरी चौराहा, आजपुरा, पटना।

  
निदेशक,  
पंचायती राज, बिहार, पटना।

T.R.Raghunandan,  
Joint Secretary,  
Tel.No.24122936

पञ्चायती राज विभाग  
संघीय सरकार  
प्रधान मंत्री, सम्राट होटल, कौटिल्य मार्ग  
चानक्य पुरी, नई दिल्ली-110 021  
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ  
GOVERNMENT OF INDIA  
6TH FLOOR, SAMRAT HOTEL, KAUTILYA MARG  
CHANAKYA PURI, NEW DELHI-110 021

D.O. No.N-11019/504/07-Pol-I

Dated: 1<sup>st</sup> November, 2007

Subject: Guidelines for facilitating the preparation of perspective Plan for the 11<sup>th</sup> Five Year Plan period and Annual Plan for 2008-09 for the districts covered under BRGF (inclusive of Comprehensive District Agriculture Plan for 54 selected districts).

Dear Sir,

The Planning Commission issued guidelines regarding formulation of District Plans through letter No.M-13011/1/2006-SP-Coord. dated 25.8.2006. The Ministry of Panchayati Raj has adopted these Guidelines for Planning under BRGF Programme. The Planning Commission has held regional workshops in Delhi, Bangalore, Pune, Chandigarh and Bhubaneswar and we have held workshops on district planning in Bhopal, Bhubaneswar, Raipur, Bangalore and Hyderabad. Our experience leads us to believe that a concerted effort towards district planning will help every sector in better planning.

With a view to assisting the districts in the preparation of the District Plans and facilitating the participatory process, the Planning Commission and Ministry of Panchayati Raj have prepared a panel of Technical Support Institutions (TSIs), i.e., national level institutions, national institutes and NGOs, for joining hands with the State Planning authorities and the District Planning Committees/Zilla Parishads. While the districts in which these agencies would like to work have been prepared, the states have the discretion in choosing institutions from the panel for preparation of district plans. The teams formed by these TSIs will visit the districts assigned to them and hold discussions with the district officers working in the development sectors and the Panchayats at the 3 tiers to clarify the process. Partnership with local NGOs and civil society institutions is also desirable so that with reference to the baseline study of the district, envisioning exercises can be taken up from the Gram Panchayat level upwards to develop a vision of where the district would like to be on various parameters 10-15 years hence. The assets in the district need to be taken into account along with convergence of resources available from Centrally Sponsored and Central Sector Schemes, State Sector Schemes and Panchayati Raj Schemes. Develop the perspective plan and Annual Plans thereon.

(221)


be utilized for bridging critical gaps in running these plans. The plans should be realistic and doable and these should be agglomerated at the levels of the Block Panchayat and the Zila Panchayat to prepare the District Plan for the rural areas. The Plans of the ZPs and municipalities would be consolidated into the District Plan by the District Planning Committee.

In order to assist the district planning machinery in taking up this task, the Ministry of Panchayati Raj has released an amount of Rs. 10 lakh to each State for transfer to Zila Parishad as advance on account of development grant for being utilized to meet the expenses on the process of preparation of the District Plan. This amount could be utilized to fund PRAs at the field level, remuneration to NGOs involved in this activity and honorarium and travel expenses of the teams assigned by the TSIs. The State Government is requested to nominate a nodal department or officer at the State and district level with whom the TSIs can interact. The TSI can be released Rs. 5 lakh by the ZP for this task.

The outcome expected from this exercise would be a holistic plan document for the district that would include the plans for the sectors such as agriculture, education, health, rural employment, roads, infrastructure development, etc. Since, the time available is rather limited, it is requested that the whole process may be completed by 30<sup>th</sup> April, 2008.

With regards,

Yours sincerely,



Dr. Deepak Prasad,  
Secretary (Panchayati Raj Deptt.),  
Govt. of Bihar,  
Patna-15

## Revised Sixteen Week Work Schedule for BRGF in Bihar

184

55

Submitted by TSIs

Activity	Month & Week												Person/Agency responsible				
	February				March				April					May			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
<b>Pre Implementation phase</b>																	
1. Preparation of State Vision Document इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर योजना समिति को मार्गदर्शन का प्रेषण।																	सचिव / निदेशक पंचायती राज
2. Messages from State to DPC to form DPT/BPT राज्य स्तर से DPC को विभिन्न लाइन विभाग/निदेशालय/समितियों को सूचित करना।																	Secy./Director, PRD
3. Communication to various line departments/directorates/societies at the state level for collecting data राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करना।																	Secy./Director, PRD
4. Mass generation through Radio Jingles, Film Slides, newspapers राज्य स्तर पर रेडियो जिंगल्स, फिल्म स्लाइड्स, समाचार पत्रों के माध्यम से जनसंख्या को सूचित करना।																	निदेशक, पंचायती राज Director Panchayat Raj
5. Requests to DPCs for signing MoU & release of funds राज्य स्तर पर DPCs को MoU पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध करना और निदेशक को सूचित करना।																	सचिव/निदेशक पंचायती राज Secy./Director, PRD
6. Requests from State to DPC for dev of vision documents राज्य स्तर से DPC को योजना दस्तावेजों के विकास के लिए अनुरोध करना।																	Secy./Director PRD
7. Selection of DPC from state level राज्य स्तर से DPC का चयन करना।																	टी०एस०आई० पंचायती राज विभाग के सहयता से TSI with help from PRD
8. Finalization of format for district vision document राज्य स्तर पर जिला योजना दस्तावेज के लिए अंतिम फॉर्मट तैयार करना।																	श्री सुब्रह्मण्यम - एस०आई०आई०सी० NIRD, Mr. Subramanyam
9. Analysis for district vision document जिला योजना दस्तावेज के लिए विश्लेषण करना।																	टी०एस०आई०
10. Interactive session with DPT & DPC as well as CEO Panchayat Samiti, Pramukh Zila Parishad, members of Zila Parishad, selected Mukhia and Panchayat Sachiv for राज्य स्तर पर DPT, DPC, जिला पंचायत समिति के सीओ, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्यों, जिला परिषद के चुनिंदा मुखिया और पंचायत सचिवों के साथ अंतर्क्रियात्मक सत्र।																	TSI टी०एस०आई० डी०सी०सी०
11. Preparation of district vision document जिला योजना दस्तावेज का तैयार करना।																	टी०एस०आई०
12. Finalization of core team members of DPC at district level for assistance in preparation of जिला स्तर पर DPC के लिए सहायता के लिए तैयार करने के लिए कोर टीम के सदस्यों का चयन।																	TSI
13. Finalization of draft vision document जिला योजना दस्तावेज के लिए अंतिम ड्राफ्ट तैयार करना।																	डी०पी०टी०-टी०एस०आई० के सहयता के साथ DPT with support from TSI
14. Forwarding of draft vision document to DPC/DPT and organizing vision dev. workshop जिला योजना दस्तावेज के ड्राफ्ट को DPC/DPT को भेजना और योजना विकास कार्यशाला का आयोजन करना।																	टी०एस०आई० / डी०पी०टी०
15. Finalization of district vision document जिला योजना दस्तावेज का अंतिम तैयार करना।																	TSI/DPT डी०पी०टी० / डी०पी०टी० / टी०एस०आई०
16. Submission of district vision document जिला योजना दस्तावेज का जमा करना।																	DPC/DPT/TSI

Sl. No.	Activity	Month & Week																Person/Agency responsible	
		February				March				April				May					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
C	Block vision तैयार करना Preparation of Block vision plan प्रखण्ड स्तर पर दौर्घकालीन योजना का तैयार करना																		उप विकास आयुक्त DDC टी0एस0आई0
	Formation of BPC/BPT at Block level प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड योजना समिति / प्रखण्ड योजना टीम एवं अन्य सहभागीता का उन्मुखीकरण																		TSI
	Sensitization of BPC/BPT & other stakeholders through workshop प्रखण्ड स्तर पर समिति के सदस्यों को विभिन्न संस्थाओं से आमंत्रित करने संबंधी राज्य सरकार का निर्देश																		सचिव / निदेशक, पंचायती राज Secy / Director PRD सी0पी0टी0-टी0एस0आई0 के सहकार्य में प्रखण्ड
	Guidelines from State to BPC for dev. of vision documents प्रखण्ड स्तर पर दिशानिर्देश																		BPT with support from TSI प्रखण्ड योजना समिति / प्रखण्ड योजना दल / टी0एस0आई0
	Preparation of draft vision document प्रखण्ड स्तर पर दौर्घकालीन योजना का तैयार करना																		BPC/BPT/TSI
	Finalization of Block/ Nagar Panchayat vision document प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत दौर्घकालीन योजना की तैयारी																		
	Vision Document & Preparation of Gram Panchayat perspective plan दौर्घकालीन योजना का तैयार करना																		
	Formation of GPC ग्राम पंचायत के सभी ग्राम पंचायत सदस्यों का मासिकार सामाजिक प्रतिनिधित्व																		मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला परिषद CEO-Zila parishad टी0एस0आई0 / वार्ड सदस्य
	House wise social mobilization of Gram sabha members on perspective planning ग्राम स्तर पर घर-घर करके ग्राम सभा के सदस्यों का आकड़ों सहित																		TSI/ Ward member
	Data Compilation at the Panchayat level of relevant programs, resources etc. ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों का तैयार कार्यकारी समिति के द्वारा																		TSI
	Preparation of draft perspective document of gram Panchayat through Executive committee ग्राम स्तर पर कार्यकारी समिति में प्रखण्ड की दौर्घकालीन योजना का अनुमोदन																		कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत / मुखिय पंचायत सचिव
	Approval of Panchayat perspective plan in Gram panchayat karyakarini samiti ग्राम पंचायत स्तर पर दौर्घकालीन योजना की तैयारी																		Executive Committee of GP/ Mukhia/Panchayat Sachiv प्रखण्ड योजना समिति BPC
	Preparation of perspective plan at Panchayat samiti level ग्राम पंचायत स्तर पर दौर्घकालीन योजना का तैयार करना																		टी0एस0आई0 / मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पंचायत सचिव
	Consolidation of Gram panchayat plans ग्राम पंचायत स्तर पर दौर्घकालीन योजना का तैयार करना																		TSI/CEO panchayat samiti
	Preparation of panchayat samiti perspective plans ग्राम पंचायत स्तर पर दौर्घकालीन योजना का अनुमोदन																		प्रखण्ड योजना समिति
	Approval of Panchayat Samiti's perspective plan in panchayat Samiti ग्राम पंचायत स्तर पर दौर्घकालीन योजना का तैयार करना																		BPC पंचायत समिति प्रमुख Panchayat Samiti Pramukh

Activity	Month & Week																Person/Agency responsible	
	February				March				April				May					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
(1) तैयारी - परिभाषित योजना की तैयारी <b>Preparation of Nagar Panchayat perspective plan</b>																		वार्ड सदस्य Councillor
वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्यों के वार्षिक सामाजिक गतिशीलता कार्यक्रमों का आयोजन Ward wide social mobilization of ward members on perspective planning																		टी0एस0आई0 / वार्ड सदस्य TSI/Councillor
वार्ड स्तर पर प्रासंगिक कार्यक्रमों के वार्षिक कार्यक्रमों का संकलन Compilation at the ward level of relevant programs, resources etc.																		सामान्य परिषद General body
(2) सामान्य परिषद की बैठक का आयोजन, आवश्यकताओं की प्राथमिकता एवं योजना का प्रेषण Convening general body meeting of Nagar Panchayat, prioritization of needs and endorsement of plan																		जिला योजना समिति- टी0एस0आई0 के सहायता के साथ DPC with support from TSI
(3) तैयारी - परिभाषित योजना की तैयारी <b>Preparation of District Perspective plan</b>																		जिला योजना समिति- टी0एस0आई0 के सहायता के साथ DPC with support from TSI
पंचायत समिति योजनाओं का संकलन Compilation of Panchayat Samiti plans																		जिला योजना समिति- टी0एस0आई0 के सहायता के साथ DPC with support from TSI
पंचायत समिति योजनाओं के लिए पंचायत समिति योजनाओं का संकलन Compilation of perspective plans of nagar panchayat plans																		जिला योजना समिति DPC
पंचायत समिति योजनाओं के लिए पंचायत समिति योजनाओं का संकलन Compilation of Zila parishad plans for inter-Panchayat samiti related projects																		जिला योजना समिति DPC
पंचायत समिति योजनाओं के लिए पंचायत समिति योजनाओं का संकलन Preparation & approval of district perspective plans																		जिला योजना समिति DPC
(4) तैयारी - परिभाषित योजना की तैयारी <b>Approval of district plans by High Power committee</b>																		जिला योजना समिति DPC
पंचायत समिति योजनाओं के लिए पंचायत समिति योजनाओं का संकलन Presentation of district plan before High power committee																		जिला योजना समिति DPC